प्रकाशन संख्या-453

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 444

पर्यटन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80, 80-81 एवं 85-86 से 87-88 एवं 90-91 से 98-99 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक 22.3.04 को सदन में उपस्थापित।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2003-2004	क
2.	लोक लेखा समिति की उप समिति (4) का गठन	ख
3.	सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण	घ
4.	महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	ग
5.	प्राक्कथन	च
6.	प्रतिवेदन	1-61

लोक लेखा समिति का गठन (2003-2004)

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०

सदस्यगण

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०
3. श्री रामचन्द्र राय, स०वि०स०
4. श्री सरफराज, स०वि०स०
5. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, स०वि०स०
6. श्री रामनाथ ठाकुर, स०वि०स०
7. श्री गौरी शंकर नागदंश, स०वि०स०
8. श्री अब्दुल गफूर, स०वि०स०
9. श्री शोभाकान्त मंडल, स०वि०स०
10. श्री, जगदीश नारायण चौधरी, स०वि०स०
11. प्रो० अरूण कुमार, स०वि०प०, सहकारी सदस्य
12. श्री मंगनी लाल मंडल, स०वि०प०, सहकारी सदस्य
13. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०प०, सहकारी सदस्य
14. श्री पी०के०सिन्हा, स०वि०प०, सहकारी सदस्य

लोक लेखा समिति की उप-समिति (4) का गठन वर्ष 2003-2004

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स०

संयोजक

2. प्रो0 अरूण कुमार, स० वि० प०

सदस्यगण

3. श्री गौरी शंकर नागदंश, स० वि० स०
4. श्री जगदीश नारायण चौधरी, स० वि० स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे०पी० पाल, सचिव
2. श्री विन्देश्वरी प्रसाद यादव, संयुक्त-सचिव
3. श्री परमानन्द झा, उप सचिव
4. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर-सचिव
5. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर-सचिव
6. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी
7. श्री लाल बाबु प्रसाद, प्रशासी पदाधिकारी
8. श्री भूदेव राय, प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी
10. श्री शिव पुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी

लोक लेखा समिति के कम्प्यूटर शाखा में प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर संचालक

1. श्री रवि कुमार पाण्डेय, [दैनिक वेतन भोगी क०]
2. श्रीमती अमृता " "

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना ।
2. श्री मान सिंह, उप-महालेखाकार, बिहार, पटना ।
3. श्रीमति विनीता मिश्र, उप महालेखाकार, बिहार, पटना ।
4. श्री जटा शंकर झा, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री रणवीर प्रसाद, लेखा परीक्षा अधिकार, पटना ।
6. श्री सतीश चन्द्र झा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
9. श्री अरविन्द कुमार, लेखा परीक्षा, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री यू०एन०पंजियार, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री के०सी०मिश्रा, अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार, पटना ।
3. श्री रामेश्वर सिंह, अपर वित्त आयुक्त (संसाधन), बिहार, पटना ।
4. श्री के०पी०मंडल, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
5. श्री तिलक राज गौरी, बजट पदाधिकारी-सह अवर सचिव, वित्त विभाग ।

कम्प्यूटर कोषांग, वाल्मी, पटना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण

1. श्री शीलभद्र सिन्हा, सिस्टम मैनेजर
2. श्री शैलेन्द्र, सहायक प्राध्यापक
3. श्री सरोज कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं० 444 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक, 15.9.2003 को लोक लेखा समिति की मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । प्रतिवेदन तैयार करने के कम में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग से समिति को वांछित सहयोग मिला है जिसके लिये मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ । साथ ही पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों के भरपूर सहयोग के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम का परिचय इस प्रतिवेदन को तैयार करने में दिया है । मैं अपनी ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कृत के लिए अपनी ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

पटना
दिनांक 15.9.03

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1979–1980 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	1-9	शेयरों तथा डिबेंचरों में निवेश (क) अधोलिखित तालिका में 1980 के अन्त तक और उसके दौरान राज्य निगमों, कम्पनियों और अन्य व्यापारिक संस्थानों की शेयर पूंजी और डिबेंचरों में सरकार के निवेश को दर्शाया गया है : 1980 131-35 1981-82 153-05 1982-83 157-47 वर्ष के दौरान लाभांश और ब्याज की प्राप्ति पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है (मई 1984) 10-39 लाख रूपया तो सरकार को क्रेडिट किया गया, किन्तु यह राशि किस निकाय से संबंधित है, इस बात को सूचित नहीं किया जा सका।	पर्यटन विभाग के नियंत्रण में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गयी है। उक्त निगम को हिस्सा पूंजी में अंशदानके रूप में वित्तीय वर्ष 1980-81 में कोई राशि नहीं दी गयी है। वित्तीय वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में क्रमश: 26-50 लाख एवं 19 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
2	2-2 (क) (5)	अनुदान से अधिक व्यय जिसको नियमित करना है। अनुदान की संख्या और नाम 16-सूचना और प्रचार कुल अनुदान वास्तविक व्यय अधिक व्यय 1,85,70,400 1,91,45,775 5,75,375 अधिक व्यय क्षेत्र प्रचार (2-7 लाख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार (1-79 लाख)	पर्यटन के निवास व्यवस्था में 1-39 लाख अधिक व्यय का उल्लेख मूल उपबंध 478300 रू० को ही आधार मानकर दिखाया गया है, जबकि पुनरीक्षित उद्व्यय 633300 एवं व्यय 632484 रू० है। व्यय उपबंध के अन्तर्गत है।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
3	2.2(4)	16. सूचना प्रसारण तथा पर्यटन मूल अनुदान वास्तविक व्यय अधिक व्यय 2,8608545 29343886 735341 वेतन और जीवन यापन भत्ता पर अधिक व्यय के कारण 1.50 लाख रू. के छोड़कर क्षेत्रीय प्रचार अनुमंडलीय संगठन (7.28 लाख रू.) विज्ञापन और दृश्य प्रचार (4.77 लाख रू.) और प्रेस सूचना सेवाएं	वित्तीय वर्ष 1982-83 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को हिस्सा पूंजी में अंशदान के रूप में 19 लाख रू. का उपबन्ध का जो पूर्ण राशि का भुगतान निगम को कर दिया गया है।	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
		(2.59 लाख रू.) पर मुख्यत: अधिक खर्च हुआ है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (मई, 84) अधिक व्यय बिहार राज्य पर्यटनविकास निगम के हिस्सा पूंजी में कम अंशदान के द्वारा आंशिक रूप से प्रति संतुलित हो गया (5लाख रू.)		
		क्रमांक-3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान 1977-78- 2.3(1)(5) एवं 2.4 (1) परि (17) अनुदान का नाम एवं संख्या 16-सूचना-प्रसारण तथा पर्यटन मूल अनुदान (लाख में) / अनुपूरक अनुदान / व्यय / बचत 109.44 / 6.21 / 97.40 / 18.25 कमी मुख्यत: पर्यटन के अन्तर्गत योजना विनियमन में कटौती के कारण हुई।	अनुदान का नाम एवं संख्या / मूल अनुदान (लाख में) / अनुपात अनुदान / व्यय / बचत 16-पर्यटन / 29.75 / - / 27.81 / 1.94 इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि कुछ पद रिक्त रहने के फलस्वरूप राशि में बचत हुई है।	
		क्रमांक-4- उपक्रम जिन्होंने महालेखाकार को प्रोफार्मा लेखे नहीं भेजे है। अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) 1977-78 की कंडिका 7.2,(परि.)(1)(1) 33 एवं 34 1978-79 की कंडिका 7.2 (परि.)(10) 33 एवं 34 1979-80 की कंडिका 7.1 (परि.-7-1) 33 एवं 34 1980-81 की कंडिका 7.1 (परि.-7-1) 13 एवं 34 1981-82 की कंडिका 7.1 (परि.-7-1) 13 एवं 34	पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित वाणिज्यिक उपक्रम पर्यटक परिवहन सेवा एवं आकाशीय रज्जुमार्ग का प्रोफार्मा एकाउन्ट वर्ष 1980-81 का इस विभाग के पत्र संख्या-3302 एवं 3299 दिनांक 8.81 द्वारा महालेखाकार बिहार पो० हिनू रांची को भेजा जा चुका है।	
		क्रमांक-5 पर्यटन विभाग में अनियमितताएँ अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) 1982-83 की कंडिका 3.5 (क) (ख) (ग) (ख) पर्यटक बंगलों/विश्राम गृहों/जलपान गृहों के रख रखाव पर हुआ कल व्यय (10.67 लाख (आय) 4.65 लाख) से 6.02 लाख रू. अधिक था।	वर्णित कंडिका के क्रम में उल्लेखनीय है कि पर्यटक बंगलों से प्राप्त आय, स्थापना व्यय के अनुपात में बहुत कम रहा है। इसका कारण सस्ते दर आने वाले पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करना, मुख्य लक्ष्य रहा है बिहार में पर्यटकों के आगमन की ऋतु अक्टूबर से फरवरी है। इसके बाद की अवधि में पर्यटक बंगलों में पर्यटकों के आगमन की संख्या में भारी गिरावट आ जाती है और आय के रूप में कम राशि ही प्राप्त होती है। किन्तु स्थापना पर व्यय एवं बंगलों के रख-रखाव पर जो व्यय होता है वह अनिवार्य व्यय है। इसलिये आय की तुलना में व्यय अधिक हो	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			जाता है। राज्य सरकार में बि.रा.प.नि. की स्थापना के बाद इन पर्यटकों बंगलों को निगम के अधिन स्थानान्तरित कर दिया है एवं व्यय की तुलना में आय में वृद्धि करने की ओर निगम अधिक प्रयत्नशील है।	
		(ख) यह देखा गया कि 1976-77 से 1979-80 के दौरान 18 अवधाकों (19 युवा आवासों में से) के वेतन और भत्ते पर 1.96 लाख रू. का व्यय हुआ जबकि ग्यारह छात्रावासों से वसूला गया राजस्व मात्र 0.06 लाख रू. था।	शिक्षा विभाग से हस्तान्तरित बहुत अधिक संख्या में युवा आवास जीर्ण अवस्था में था। पर्यटन विभाग की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी कि सभी युवा आवासों में आमूल सुधार किया जा सके। मुख्य-मुख्य स्थानों पर अवस्थित युवा आवासों, जैसे राजगीर, सासाराम, तोपचांची, बोधगया, हुन्डूपल, नेतरहाट आदि में सुधार की कार्रवाई की जा रही है। कुछ युवा आवास सुदूर विशन सीन पर अवस्थित होने के कारण (जैसे-मधुवन, पारसनाथ, बोकारो, लौरियानन्दनगढ़, मिहिजाम, हवेली खड्गपुर आदि) युवा पर्यटकों के उपयोग के लायक नहीं है किन्तु अवधायक (चपरासी के वेतनमान में) एक-एक पद स्वीकृत है। उनके वेतन भत्ता का भुगतान आवश्यक है। इसलिए आय की तुलना में व्यय अधिक होता है।	
		(ग) गाइड प्रशिक्षण-राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 1975-76 में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गाइडों को प्रशिक्षण देने की एक योजना प्रारंभ की गई है जिसमें 100 प्रशिक्षित गाइडों में से छः व्यक्ति तो इसी विभाग में विभिन्न जगहों में गाइड का काम कर रहे हैं।	स्व० नियोजन कार्यक्रम के अधीन गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना विभाग द्वारा स्वीकृत हुआ था। इसके लिए 0.52 लाख रूपया स्वीकृत था जिसमें यह प्रावधान था कि 100 स्नातक शिक्षित बेरोजगार को तीन माह तक प्रशिक्षण देकर पर्यटक स्थलों पर स्वयं गाईड कर अपनी जीविकोपार्जन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 150/- रू. की दर से तीन माह वृत्तिका देने का निर्णय था। इस प्रकार 100 x 150 x 3 = 4500 रूपये वृतिका पर व्यय करना था और शेष 7000 रू. आकस्मिकता मद में व्यय के लिये था। प्रशिक्षणार्थियों को गणमान्य व्यक्तियों से व्याख्यान उपलब्ध कराने इत्यादि पर जो व्यय था उसे आकस्मिकता मद से वहन करना था। उपयुक्त राशि पूर्ण रूप से व्यय हो चुकी है। प्रशिक्षणार्थियों को पर्यटक स्थलों पर भेजा गया था किन्तु कुछ ही कार्य पर रहे और अपनी जीविकोपार्जन के लिये प्रयत्नशील रहे। पर्यटकों से ही धनराशि प्राप्त करना था। जिस आशा से योजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी, उस रूप में इससे लाभ नहीं मिल	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			सका किन्तु 100 चुने हुए शिक्षित बेरोजगार स्नातकों का प्रशिक्षित किया गया और उन्हें हर प्रकार से जीविकोपार्जन के लिये प्रोत्साहित किया गया किन्तु कुछ ही स्थानों पर वे कार्य कर सके।	विभागीय स्पष्टीकरण को समिति गंभीरता से लेते हुए निर्देश देती है कि वर्ष 1979-80 से संबंधित कंडिका 8.1 के संबंध में 3 माह के अन्दर उत्तर उपलब्ध करावें।
		क्रमांक - 6 बकाया लेखा परीक्षा निविदाएं 1979-80 8.1, 1980-81-8.1 (क) सरकार के वित्तीय लेन-देनों लेखा परीक्षा निरीक्षाएं जो विभाग की त्रुटियों एवं भूल चूकों को सुधारने के लिए भेजी जाती है, पर अगर तुरत कार्रवाई की जाय तो बहुत हद तक नुकसान से बचा जा सकता है तथा कार्रवाई की जाय तो बहुत हद तक नुकसान से बचा जा सकता है तथा सरकारी धन का सदुपयोग हो सकता हैं छः महीनों से अधिक बकाया निरीक्षाओं को अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट सरकार के पास अग्रसारित की जाती है जिससे उनका निपटारा शीघ्र हो सके।	1980-81 का बकाया लेखा परीक्षा निरीक्षाएं पूर्व में भेजी जा चुकी है। 1979-80 में व्यय उपबन्ध के अन्तर्गत है एवं विभाग में उक्त वर्ष में कोई कंडिका प्राप्त नहीं है।	
		क्रमांक - 7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन 1979-80 की कंडिका - 8.2 1980-81 की कंडिका - 8.2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन विभागीय पत्र संख्या 2245 दिनांक 16.8.84 द्वारा भेजा जा चुका है।	

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

वर्ष 1980-1981 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	1-9	शेयरों तथा डिबेन्चरों से निवेश	पर्यटन विभाग के नियंत्रण में केवल बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम स्थापित है। इस निगम की स्थापना अक्टूबर 1981 में हुई है। अतएव 1980-81 में शेयरों तथा डिबेन्चरों का प्रश्न ही नहीं उठता है।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
2	1-10	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियां	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा अभीतक प्रशासी विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र से राशि प्राप्त नहीं की गयी है, इसलिए गारंटी देने का प्रश्न नहीं उठता है।	
3	1-14	प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों आदि की टिपपणियों की प्राप्ति में बिलम्ब	पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 1980-81 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में प्राप्त कंडिका प्राप्त नहीं हुई है। महालेखाकार कार्यालय से उनके पत्र संख्या ए० ए० 2-11 (16-3-339) 80-81-666 दिनांक 29/12/81 द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 का विनियोग लेखे प्राप्त हुआ था। इस पर समुचित उत्तर पर्यटन विभाग के पत्र संख्या 338 दिनांक 16/2/82 द्वारा महालेखाकार रांची को भेजा जा चुका हैं कंडिका 2-2 (क) (5) अनुदान / प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय जिसकी नियमित करना है। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के 339 पर्यअन पर्यटक आवास - गैर योजना एवं योजना में जो उपबन्ध स्वीकृत था उसका विवरण निम्न प्रकार है : **गैर योजना** — **योजना** — **दोनों का योग** मूल-3,78,300/- — 1,00,000/- — 4,78,300/- पुनरीक्षित — 1,55,000/- — 1,55,000/- 3,78,300/- — 2,55,000/- — 6,33,300/-	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			उक्त उपबन्ध के अनुसार जो व्यय किया गया है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है : गैर योजना : 3,77,848/- योजना : 2,55,000/- 6,32,848/- महालेखाकार के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि पर्यटकों की अवस्था में 1-39 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ है। यह मूल उपबन्ध 4,78,300/- रू० को ही आधार मानकर अधिक व्यय का उल्लेख किया गया है पुनरीक्षित उद्व्यय 6,33,30 एवं व्यय 6,32,848/- रू० है।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1985-1986 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	1.2.13	विभिन्न निगमों/कम्पनियों सहकारी संस्थानों में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नये निवेश के साधन हिस्से में सरकार का निवेशित राशि :	संबंधित कंडिका के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यटन विभाग से सम्बद्ध बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम वर्ष 1981 से संचालित है। पर्यटन निगम के शैशव अवस्था में रहने के कारण वर्ष 1985-86 में 25.00 लाख रूपये हिस्सा पूंजी के रूप में राशि निगम को मुहैया करायी गयी है। निगम विभाग द्वारा ली गयी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यटन उद्योग के विकास कार्य में प्रत्यन्शील है।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
2	2.2.2	अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई।	इस संदर्भ में सूचित करना है कि वर्ष 1985-86 में ''पर्यटन योजना'' का मूल उद्व्यय 40.00 लाख था। पर्यटन के विकास के लिए इसको अधिसीमा 200.00 लाख योजना विभाग द्वारा की गयी। अतिरिक्त उद्व्यय 150.00 लाख का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर की गयी है, जिसका व्यय विवरण अनुसूची-(क) पर संलग्न हैं जिसका विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था का पूर्ण उपयोग किया गया है। उपबन्ध अभिलेखों के अनुसार प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 1985-86 में 73,26,213/- रू० का अनुपूरक बजट उपलब्ध किया गया है। शेष राशि 86,73,787/- रू० का उपलब्ध उक्त वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका।	समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/प्रावधानों में सुनिश्चित करें, इसे कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
3	2.3	नयी सेवा / नयी सेवा प्रपत्र पर व्यय	यह कंडिका पर्यटन विभाग से संबंधित नहीं है। परिशिष्ट - 22 (पृष्ट - 140) 12 - क - 3 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से संबंधित है।	समिति विभाग को निदेश देती है कि संबंधित कंडिका विभाग को स्थानान्तरित करें।
4	2.4	आकस्मिक निधि से अग्रिम	वर्ष 1985-86 में पर्यटन विभाग द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम 160.00 लाख रूपये की व्यय विभिन्न स्कीमों के लिए किया गया है एवं उनकी प्रतिपूर्ति वर्ष 1985-86 के प्रथम अनुपूरक में 73,26,213 रू० का अनुपूरक बजट उपलब्ध किया गया है। शेष राशि 86,73,787/- रू० का बजट उपलब्ध वर्ष 1985-86 के अनुपूरक बजट में नहीं किया जा सका है।	भविष्य में विभाग बजट प्रक्रिया/प्रावधानों को अक्षरशः पालन करे, इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.7	बचत / अधिक्य के लिए स्पष्टीकरण का प्राप्त होना	पर्यटन परिवहन सेवा - गैर योजना मद में कुछ पद रिक्त रहने के कारण 1.63 लाख रुपये की बचत हुई। कुछ कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर्यटन निगम में होने के कारण वेतन-भत्ते की राशि में बचत हुई है। 3452 - पर्यटन, गेर योजना मद में कुद उपलब्ध 63.00 लाख रुपये में 53.73 लाख का व्यय हुआ है एवं 9.29 लाख रू० प्रत्यार्पण कर लिया गया। व्यय कुल उपलब्ध के अन्तर्गत है। विवरणी अनुसूची ''ख'' पर रखी गयी है।	विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/ प्रावधानों को सुनिश्चित करे, इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अनुसूची - क

वर्ष 1985-86, योजना व्यय, पर्यटन विभाग

क्रमांक	शीर्ष	बजट उपबंध
1.	बराबर में सीढ़ी का निर्माण	4,09,880.00
2.	दो अम्पैसडर कार का क्रय	2,86,000.00
3.	डीलक्स बस का क्रय	8,00,000.00
4.	युवा आवास राजगीर का निर्माण	43,700.00
5.	नृत्य समारोह, राजगीर	2,00,000.00
6.	स्टाफ क्वाटर, वैशाली	46,641.31
7.	जेनरेटर, टेन्ट आदि का क्रय	4,00,000.00
8.	उपस्कर एवं फर्निसिंग	4,00,000.00
9.	स्टेान वैगर (गाड़ी) का क्रय	1,41,469.00
10.	मोटर वोट के लिए उपस्कर आदि	58,043.00
11.	युवा आवास, बोधगया का जीर्णोद्वार	1,00,000.00
12.	देवघर बंगला की मरम्मती	70,850.00
13.	अम्बेसडर कार का क्रय	00,000.00
14.	जीरादेई में राजेन्द्र प्रसाद की मूर्ति स्थापना	70,000.00

क्रमांक	शीर्ष	बजट उपबंध
15.	हाजीपुरमें जमीन क्रय का मुआवजा	5,20,565.00
16.	स्थापना व्यय	30,000.00
17.	पर्यटन भवन देवघर में चाहरदीवारी का निर्माण	50,000.00
18.	सासाराम में पर्यटन भवन का निर्माण	12,00,000.00
19.	फॉरेस्ट लॉज बेतला में स्टाफ क्वाटर का निर्माण	4,39,374.00
20.	पर्यटक सूचना केन्द्र-सह-विश्राम गृह डालटनगंज के भवन का विस्तार	3,65800.00
21.	मनेर में मखदुम साहेब के मजार के सामने पुराने तालाब की उड़ाही	4,00,000.00
22.	वे-साईड सुविधा, हिसुआ एवं विहिया	6,00,000.00
23.	वि०रा०प०निगम को हिस्सा पूंजी में अंशदान	10,00,000.00
24.	फोरेस्ट लॉज, बेतला में विद्युत - व्यवस्था	75,700.00
25.	ध्वनि प्रकाश योजना बक्सर	50,000.00
26.	भीम बाँध में डोरमेटरी का निर्माण	66,200.00
		79,04,222.31

5

अनुसूची - बी

वर्ष 1984-85, पर्यटन गैर योजना, व्यय

क्रमांक	शीर्ष	बजट उपबंध	व्यय	(+) अधिकतम (-) बचत
1-	पर्यटन आवास	7,00,000	4,10,512	(-) 2,89,488
2-	निदेशन और प्रशासन	8,00,000	9,17,970	(+) 1,17,970
3-	क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय	2,55,000	2,52,970	(-) 2,050
4	पर्यटक केन्द्र	27,88,000	27,70,979	(-) 17,221
5-	परिवहन	5,49,000	3,86,386	(-) 1,63,000
6-	प्रचार	8,41,000	6,32,002	(-) 2,08,998
7-	रज्जू मार्ग	3,67,000	-	(-) 3,67,000
		63,00,000	53,70,819	10,47,757
	प्रत्यार्पण	-	9,29,520	(+) 1,17,970
			63,00,339	9,29,787

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

वर्ष 1986–1987 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.3	नयी सेवा / नयी सेवा प्रपत्र पर व्यय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वर्ष 1986 - 87 में अनुदान संख्या सूचना, प्रचार एवं पर्यटन के अन्तर्गत मूल उपबन्ध अनुपूरक अनुदान एवं व्यय तथा बचत का ब्यौरा निम्न प्रकार दर्शाया गया है : 284 - सूचना और प्रचार 339 - पर्यटन 344 - अन्य परिवहन एवं संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय मूल अनुदान - 5,57,58,000 वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 1105800 कुल अनुदान 7,63,61,145 व्यय 73368862 बचत 2992283 अनुपूरक अनुदान 2,06,03,145	इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि "339-पर्यटन - 544 - अन्य परिवहन एवं प्रचार सेवाओं पर पूंजी गत परिव्यय - " के अन्तर्गत पर्यटन विभाग से संबंधित अनुदान - व्यय एवं बचत की स्थिति निम्न प्रकार है : 1- 339 - पर्यटन (गैर योजना) 68,89,000 57,83,200 1105800 2- 339 - 544 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय - 2,00,00,000 2,00,000 - कुल 2,68,89,000 25783200 1105800 3- कुल अनुदान 7,63,61,145 रू० में पर्यटन विभाग से संबंधित 2,68,89,000 रू० ही प्रतीत होता है। शेष राशि - 4,94,72,145 रू० सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से संबंधित है, जिसका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। 4- जहाँ तक वित विनियोग से संबंधित पृष्ठ 54-2-ग-544 - अन्य - परिवहन एवं प्रचार सेवा पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित व्यय इकाई - कुल अनुदान वास्तविक व्यय अधिकतम बचत रास्ते के किनारे की सुविधा के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को अनुदान- 13.00 13.00 - कुल अनुदान 13.00 लाख का पूर्ण उपयोग किया गया है। बचत राशि शून्य है। 5- वित्त विभाग - पृष्ठ - 55 - ख - 339, पर्यटन - ख - अन्य - व्यय 1 - ख - 6 (6) - प्राईवेट संस्था / प्रोत्साहन कार्य के लिए अनुदान 20.00 लाख रूपये में 20.00 लाखा रू० पूर्ण व्यय किया गया है। बचत शून्य है। ख- 339-पर्यटन-ख-6-अन्य व्यय कुल अनुदान (लाख में) वास्तविक व्यय (लाख में) अधिकतम बचत (लाख में) 4-ख 6 (4) पर्यटक केन्द्रों का विकास 4.00 4.00 - 5-ख-(3) तीर्थ यात्री केन्द्रों का विकास 15.00 15.00 - 6- 2-ग-1(1)(2)(11)	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			पर्यटक केन्द्र 0.50 0.50 - 2- ग-544-अन्य परिवहन एवं संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय : कुल अनुदान (लाख में) / वास्तविक व्यय (लाख में) / अधिकतम बचत (लाख में) 2- ग-1 (1) (10) नालंदा में कोफेटेरिया का निर्माण - 9.67 9.67 -	
2	2.4	आकस्मिक निधि से अग्रिम	वित्त विनियोग पृष्ठ 56 - अनुदान संख्या - 16 के क्रमांक (णं) में बोधगया में विस्थापन के पुनर्वास के लिए भू-अर्जन से संबंधित मुआवजे के भुगतान से संबंधित 8.25 लाख रू. का प्रश्न है, बिहार आकस्मिकता निधि से 8.25 लाख रू. वित्त विभाग द्वारा वर्ष 1985 - 86 में स्वीकृत किया गया था जिसका व्यय उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। लेकिन राशि का अनुपूरक उपबंध - 1986-87 में मात्र वित्तीय प्रक्रिया के लिए की गयी। इस राशि का व्यय 1986-87 में नहीं किया जाना था। यह उपबंध मात्र पूर्व में खर्च की गयी राशि की प्रति पूर्ति के लिए किया गया था। अतएव विभाग का प्रस्ताव है कि महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 1986 - 87 में पर्यटन विभाग से संबंधित कंडिका - 2.3 एवं 2.4 को स्थगित करने पर समिति विचार कर सकती है। विभाग में अधिकाई व्यय या बचत से संबंधित मामला प्रतीत नहीं होता है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
3	2.5.3.2	पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या - 16 सूचना, प्रचार और पर्यटन - बजट प्रावधान वर्गीकरण के सिद्धान्त के अनुसार न की गयी। पूंजीगत व्यय का परिभाषा ऐसे व्यय से है जिसका उद्देश्य मूर्त किस्म का और स्थायी परिसम्पत्तियों का वृद्धि करना है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को 2.00 लाख रूपये, पयटक सूचना एवं प्रचार के लिए गाड़ी खरीदने के लिए 1.00 लाख रूपये, निजी उद्यमियों के लिए कार खरीदने के लिए शीर्ष 44 - अन्य परिवहन और संचार सेवाओं के लिए ऋण ''शीर्ष - 744 अन्य परिवहन और संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत राशि का प्रावधान किया	उपर्युक्त विषय के संबंध में विभाग का स्पष्टीकरण है कि बजट उपबन्ध के अनुसार वित्त विभाग एवं योजना विभाग द्वारा निर्धारित इकाई के अन्तर्गत बजट उपबंध किया गया था एवं प्राधिकृत समिति द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के अनुसार कुल अनुदान के अन्तर्गत राशि का निकासी की गयी। अर्थात योजना उद्व्यय के लिए निर्धारित राशि 200.00 लाख का पूर्ण व्यय विभाग द्वारा किया गया है। राशि बिना उपयोग किए रह गया, ऐसी बात नहीं है। जहां तक कंडिका - 2 ग - 544 - अन्य परिवहन और संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को अनुदान - जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना सहित 25.00 लाख एवं निजी संस्थानों को प्रोत्साहित अनुदान 5.00 लाख रूपये का प्रश्न है, पूर्ण राशि का उपयोग किया गया है। अत: विभाग का प्रस्ताव है कि कंडिका 2.5.3.2 को स्थगित किया जा सकता है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/प्रावधानों को अवश्य पालन करें। इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
		गया था। सम्पूर्ण प्रावधान की राशि बिना उपयोग किए रह गया।		
4	2.5.4	बजट प्रलेखा में अशुद्धियाँ अनुदान संख्या - 16 सूचना, प्रचार एवं पर्यटन के अन्तर्गत 8.35 लाख के अनुपूरक प्रभारित प्रावधान को अनुदान संख्या - 13 शिक्षा कला और संस्कृति के अन्तर्गत 0.01 लाख की दत्तमत राशि के साथ मिला दी गयी और मांगों की सूची में भी इसी तरह ही दिखलाई गयी जिसके फलस्वरूप विनियोग, अधिनियम के साथ संलग्न की गयी - विनियोग की सूची तथा संबंधित 1986 - 87 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में भी ऐसे ही दिखलायी गयी है।	इस भूल के लिए वित्त विभाग - बजट शाखा जिम्मेवार है, न कि पर्यटन विभाग। अतः कंडिका 2.5.4 को स्थगित किया जा सकता है।	विभागीय स्पष्टीकरण से समिति असहमत है। समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/ प्रावधानों को निश्चित रूप से पालन करें। इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

13

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1987-1988 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.2.2	फरवरी 1988 में 17 मामलों में (परिशिष्ट - 2.1) 81.24 करोड़ को अनुपूरक धन - व्यवस्था का प्राप्त आवश्यक साबित हुई।	वर्ष 1986-87 में हजारीबाग जिलों में सूर्यकुण्ड गर्म-जल के जलप्राप्त के विकास के लिए, बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्तकर 12.00 लाख रूपये का निकासी की गयी थी। उक्त राशि का प्रतिपूर्ति हेतु अनुसूची दी गयी थी जिसके आधार पर अनुपूरक अनुदान के रूप में विधान मंडल द्वारा वर्ष 1987-88 में बजट उपबन्ध लेखा प्रक्रिया के लिये किया गया। उक्त राशि का व्यय जो पूर्व में ही 1986-87 में हो चुकी थी। पुनः 1987-88 में इस बजट उपबन्ध को व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 1986-87 में किये गये 12 लाख के व्यय को 1987-88 में समायोजित उपबन्ध के अनुसार किया गया था। इस प्रकार अनुपूरक धन-व्यवस्था का तो सम्पूर्ण रूप से 1986-87 में ही किया जा चुका है। पर्यटन विभाग में अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध नहीं हुआ है। अतएव इस कंडिका को स्थगित किया जा सकता है। जहाँ तक 31.00 लाख रूपये बचतका प्रश्न है, इस संदर्भ में उल्लेख है कि 3452-5452 पर्यटन का वर्ष 1987-88 के बजट उपबंध एवं व्यय निम्न प्रकार रहा : कुल अनुदान / व्यय / बचत (1) 3452-पर्यटन-गैर योजना — 73.85 / 62.47 / 11.38 राशि प्रत्यार्पित (2) 3452-पर्यटन योजना — 93.00 / 92.35 / 0.65 / 7.93 (3) 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-योजना — 97.00 / 90.44 / 6.56 / 7.93 (4) 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना — 60.00 / 59.28 / 0.72 / 7.93	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			(5) अनुपूरक अनुदान - (जो 1986-87 में ही व्ययगत हो चुका है, साभंजन हेतु) 12.00 12.00 335.85 316.54 19.31 (-) 11.38 7.93 उक्त बचत राशि (अनुपूरक अनुदान 12.00 लाख को छोड़कर बचत राशि 7.93 लाख का व्यय समय पर योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई है एवं अन्त समय में बचत में कटौती की गयी। व्यय बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है एवं बचत राशि बजट उपबन्ध का 10% के अन्तर्गत है। अतः पर्यटन विभाग से संबंधित कंडिका - 2.2.2 को स्थगित किया जा सकता है।	

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

वर्ष 1990-1991 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>कंडिका</th><th>आपत्ति</th><th>विभागीय स्पष्टीकरण</th><th>समिति की अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2.2.4</td><td>अनुदानों में से प्रत्येक 1 करोड़ रूपये से अधिक और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक कम हो गया -
क्रमांक 16 मांग संख्या 32 पर्यटन
(1) कुल अनुदान - 3.41
(2) बचत की राशि - 1.19 (34.90)
(3) रिक्त रखे गये पद - 0.12 करोड़ - 0.83 करोड़ रूपये के बचत के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।</td><td>उपयुक्त कंडिका में उठायीगयी आपत्ति के क्रम में उल्लेखनीय है कि मांग संख्या 32-पर्यटन का वर्ष 1990-91 का बजट उपबंध व्यय एवं बचत का विवरण निम्न प्रकार से रहा है -

<table>
<tr><th></th><th>कुल अनुदान</th><th>कुल व्यय</th><th>बचत</th><th>प्रत्यार्पण</th><th>अतिरिक्त बचत</th></tr>
<tr><td>3452-पर्यटन (गैरयोजना)</td><td>158.26</td><td>122.34</td><td>35.92</td><td>15.69</td><td>20.23</td></tr>
<tr><td>3452-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय योजना -</td><td>170.00</td><td>153.90</td><td>16.10</td><td>-</td><td>16.10</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>328.26</td><td>276.24</td><td>52.02</td><td>15.69</td><td>36.33</td></tr>
</table>
उपयुक्त विवरण से विदित होगा कि गैर योजना मद में 20.23 लाख तथा योजनामद का 16.10 लाख कुल 36.33 लाख रूपये की बचत राशि अप्रत्यर्पित नहीं हो सकी जिसके कारण समय पर व्यय विवरण या अन्य अभिलेख प्राप्त नहीं होने तथा कोषागारों से समय परदेयक पारित नहीं किये जाने के कारण बचत हुई है योजना मद की राशि 16.10 लाख में 15.10 लाख जनजाति क्षेत्र का है जो शाखा सचिवालय, राँची के माध्यम से प्रत्यर्पित नहीं की जा सकी। अव्यवहृत राशि जो कुल उपबंध का 12% है, जबकि कंडिका में 34.90 प्रतिशत बचत प्रदर्शित है।
3452-5452 - पर्यटन-गैर योजना एवं योजना मद से संबंधी मदवार उद्व्यय एवं व्यय का विवरण अनुसूची में।</td><td>संबंधित दोनों कंडिका 2.2.2, 2.2.6 झारखंड राज्य से संबंधित होने के कारण समिति विभाग को निदेश देती है कि है कि इस कंडिका को झारखंड विधान सभा के लो० ले० स० को स्थानान्तरित करें।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.2.6</td><td>अनुदानों में लगातार बचतें देखी गयी है।
1987-88- 0.31 9.36 %
1988-89- 1.38 40.22 %
1989-90- 1.19 35.01 %</td><td>इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि योजना उद्व्यय में कटौती तथा समय पर स्कीमों की स्वीकृति तथा जनजाति क्षेत्र के स्कीमों में स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकार रांची के स्तर से योजनाओं की स्वीकृति, निकासी एवं कार्यान्वयन किये जाने के फलस्वरूप भी विभागीय नियंत्रण सम्पूर्ण रूप से नहीं रहने के कारण राशि में बचत विगत वर्षों में रही। कुछ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त समय-समय पर पर्यटन निगम में हो जाने के फलस्वरूप कुछ पद रिक्त रहे। फलस्वरूप स्थापना मद की राशि में भी बचतें हुई है।</td><td></td></tr>
</table>

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
3	2.4	नयी सेवा/नयी सेवा यंत्र पर व्यय	नयी सेवा / नयी सेवा यंत्र पर व्यय से संबंधित बजट उपबंध एवं व्यय की सीमा का निर्धारण योजना विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। भविष्य में नयी सेवा/नयी सेवा यंत्र पर व्यय के लिए निदेशानुसार बजट उपबंध पर ध्यान रखा जायेगा।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में कंडिका 2.4 एवं 2.5.5 को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
4	2.5.5	बजट प्रावधान का वर्गीकरण सिद्धान्त के अनुसार न किया जाना-पूंजीगत परिव्यय	मांग संख्या - 32 - पर्यटन - 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय अन्य क्षेत्रीय उपयोजना एवं जन-जाति क्षेत्रीय उप योजना के अन्तर्गत पूर्ववत् बजट उपबंध किया जाता रहा है और निर्धारित बजट शीर्षक के उपबंध एवं व्यय किया जाता रहा है। निदेशानुसार स्थानीय निकायों / संस्थानों को सहायक अनुदान परिसंपत्तियाँ सृजित करने के उद्देश्य से जो राशि दी जाती है, अब बजट उपबंध में निपदेशानुसार संशोधित किया जा रहा है।	

अनुसूची - अ

3452-5452 पर्यटन (गैर योजना एवं योजना) उदव्यय एवंव्यय विवरणी 1990-91

क्रमांक	मद	कुल अनुदान (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)	बचत (लाख में)	प्रत्यर्पण (लाख में)	अतिरिक्त बचत (लाख में)
1-	पर्यटन बंगला	15-34	10-66	4-68	4-68	-
2-	निदेशन और प्रशासन-निदेशालय	19-81	14-74	5-07	-	5-07
3-	क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक का कार्यालय	18-32	10-45	7-87	-	7-87
4-	पर्यटन प्रशिक्षण	2-21	-	2-21	2-21	-
5-	पर्यटक केन्द्र	68-99	65-85	3-14	-	3-14
6-	पर्यटक परिवहन सेवा	10-74	8-90	1-84	-	1-84
7-	पर्यटक सूचना और प्रचार	14-05	11-74	2-31	-	2-31
8-	आकाशीय रज्जूमार्ग	8-80	-	8-80	8-80	-
	3452-पर्यटन (गैरयोजना) कुल अनुदान	158-26	122-34	35-92	15-69	20-23
	3452-5452 पर्यटन - योजना	170-00	153-90	16-10	-	16-10
	कुल योग	328-26	276-24	52-02	15-69	36-33

अनुसूची - बी

3452-5452 पर्यटन योजना 1990-99

क्रमांक	मद	कुल अनुदान (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)	बचत (लाख में)	प्रत्यर्पण (लाख में)	अतिरिक्त बचत (लाख में)
1-	3452- पर्यटन - अन्य क्षेत्रीय उप योजना	60-00	59-00	1-00	-	
2-	5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	50-00	50-00	-	-	
3-	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-जनजाति क्षेत्रीय उप योजना	60-00	44-90	15-10	-	
	कुल योग	170-00	153-90	16-10	-	

अनुसूची - सी

3452-5452 पर्यटन (गैर योजना एवं योजना) उदव्यय एवं व्यय विवरणी 1990-91

	3452 - पर्यटन	कुल अनुदान (लाख में)	व्यय (लाख में)	बचत (लाख में)
(क)	1. निदेशन और प्रशासन	7.00	6.78	0.22
	2. पर्यटन स्थलों का विकास	33.00	32.22	0.78
	3. पर्यटक केन्द्र	2.00	2.00	
	4. तीर्थ यात्री केन्द्रों का विकास	18.00	18.00	
	कुल	60.00	59.00	1.00
(ख)	5452-पर्यटन परपूंजीगत परिव्यय - अन्य क्षेत्रीय उपयोजना			
	1. बिहार राजय पर्यटन विकास निगम को हिस्सा पूंजी में अंशदान	20.00	50.00	
	2. पर्यटक आवास का निर्माण	30.00		
	कुल	50.00	50.00	
(ग)	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना			
	1. बिहारराज्य पर्यटन विकास निगमको हिस्सा पूंजी में अंशदान	10.00	-	10.00
	पर्यटक आवास का निर्माण	32.00	3105300	0.95
	मेला - त्योहर एवं प्रदर्शनी	2.00	90000	1.10
	पर्यटन स्थलों का विकास	15.00	1195.000	3.05
	पर्यटक केन्द्र	1.00	100.000	-
			4490300	15.10

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1991-1992 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.4	नई सेवा/नई सेवा यंत्र पर व्यय - नई सेवा के रूप में गिनती किये जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा की अनुशंसा - क्रमांक - 13, 14, एवं 15 अनुदान संख्या - 32 - पर्यटन - 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय पर्यटक - अव - संरचना - पर्यटक आवास - 13. पर्यटक आवास निर्माण प्रावधान व्यय निम्न प्रकार - (लाखों में) 80-सामान्य-796 जन जाति क्षेत्र-उपयोजना प्रावधान 1.00 लाख व्यय 0.50 लाख 14. पर्यटक आवास का निर्माण - प्रावधान 0.25 व्यय 0.14 15. पर्यटन स्थलों का विकास - प्रावधान 0.35 व्यय 0.13	नई सेवा / नई सेवा यंत्र पर व्यय - जो बजट उपबन्ध वित्त विभाग द्वारा किया गया तद्नुरूप उपबन्ध के अन्तर्गत व्यय किया गया है। योजना उद्व्यय में कटौती के फलस्वरूप पुनरीक्षित उद्व्यय के अन्तर्गत व्यय किया गया है। 13. 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय — प्रावधान लाख में / व्यय लाख में / बचत पर्यटक आवास का निर्माण — 1.00 / 0.50 विभागीय आंकड़ा (लाख में) मूल- 100.00 पुनर्वि०- 35.24 64.76 — 64.76 / 64.76 14. विभागीय आंकड़ा 5452-पर्यटन-पर पूंजीगत परिव्यय-जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना पर्यटक आवास का निर्माण- — 0.25 / 0.14 विभागीय आंकड़ा (लाख में) मूल- 25.00 पूनर्वि०- 8.26 — 16.74 / 16.74 16.74 15. पर्यटन स्थलों का विकास — 0.35 / 0.13 (करोड़ में) विभागीय आंकड़ा पर्यटन स्थलों का विकास (लाख में) मूल- 30.00 पूनर्वि०- 20.73 — 9.27 / 9.27 16.74 ऊपर अंकित विवरण से स्पष्ट होगा कि नई योजनाओं के लिए विभिन्न मदों में जो राशि	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			योजना विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी उसके आधार पर बजट उपबन्ध के अन्तर्गत व्यय किया गया है। योजना उद्व्यय में कटौती के फलस्वरूप जो राशि बची उसे प्रत्यर्पित कर दी गयी है।	
2	2.5.3	बजट प्रावधान जोवर्गीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं था पूँजी - व्यय - 5452-पर्यटन पर पूँजीगत-परिव्यय पथ के किनार सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन हेतु निगम को सहाय्य अनुदान - प्रावधान व्यय 22.00 6.82 50.00 9.00	विभागीय आंकड़ा — प्रावधान / व्यय / बचत पथ किनारे सुविधा हेतु - मूल- 22.00 पूनर्वि० <u>15.00</u> 7.00 — 7.00 / 6.82 / 0.18 वे-साइड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निगम को अनुदान मूल- 50.00 पूनर्वि० <u>40.97</u> 9.07 — 9.07 / 9.07 उपयुक्त व्यय बजट उपबन्ध किये गये हैं। बजट वर्गीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप सम्प्रति बजट में चालू - वित्तीय वर्षों में संशोधन किया गया है।	
	2.2.2	वित्त विनयोग लेखा के अनुसार 3452 - पर्यटन - 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय कुल अनुदान 64508000 वास्तविक व्यय 31525024 बचत 32982976 अनुपूरक- शून्य वर्ष के दौरान अभ्यर्पित बचत राशि 30354000 (31 मार्च 1992) अभ्यर्पित प्रावधान (303.54 लाख) रूपये अन्तिम बचत (329.83 लाख रूपये) से 26.29 लाख रूपे कम था।	विभागीय आंकड़ा निम्न प्रकार है - कुल अनुदान (लाख में) / वास्तविक व्यय (लाख में) / बचत (लाख में) 3452-पर्यटन (गैर योजना) - मूल- 165.08 पूनर्वि० <u>26.96</u> 138.22 — 138.12 / 137.12 / 1.00 3452-पर्यटन-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय मूल- 480.00 पूनर्वि० <u>276.58</u> — <u>203.42</u> / <u>197.88</u> / <u>5.54</u> 203.42 — 341.54 / 335.00 / 6.54 योजना का पुनरीक्षित उद्व्यय — 203.42 / 200.00 / 5.54 200.00 / 197.88 3.42 / 2.12 (वास्तविक बचत - 2.12) उपयुक्त विवरण से विदित होगा कि पर्यटन योजना का पुनरीक्षित उद्व्यय 480 लाख रूपये से घटाकर 200 लाख कर दिया गया था, फलस्वरूप योजना मद में मुख्य रूप से 280	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			लाख की बचत हुई। अभिलेख से विदित होता है कि 280 लाख की बचतराशि में 276.58 लाख को प्रत्यर्पित किया गया। कम राशि 3.42 लाख प्रत्यर्पित नहीं हो सका है। पुनरीक्षित उद्व्यय 200.00 लाख रूपये के भी व्यय 197.88 लाख हो सका। संभवतः समय पर योजनाओं को यथेष्ट स्वीकृति नहीं होने के फलस्वरूप 2.12 लाख रूपये बचत हुई। इस प्रकार योजना उद्व्यय में 3.42 + 2.12 कुल 5.54 लाख रूपये की बचत हुई। जो कुल पुनरीक्षित उद्व्यय 200 लाख रूपये का $2\frac{1}{2}$% करीब है। गैर योजना मद में 138.12 लाख रूपये के अन्तर्गत 137.12 लाख व्यय किया जा सका है। इस मद में अव्ययित राशि 1.00 लाख रूप्ये की शेष रह गयी जिसका प्रर्त्यपण वांछित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण शेष रह गयी। गैर योजना मद की बचत राशि करीब $\frac{1}{2}$% की अनुमानित होता है।	विभागीय स्पष्टीकरण को समिति गंभीरता से लेते हुए इस निदेश के कि राशि प्रर्त्यपण की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय से समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी। विभाग 3 माह के अन्दर समिति को अवगत करायें।

अनुसूची - अ

विनियोग लेखा - अनुदान संख्या - 32 पर्यटन 3452 - 5452 - पर्यटन (पृष्ट - 124)

क्रमांक	3452- पर्यटन (गैर)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
1-	पर्यटक अव संरचना, पर्यटक आवास स्थान, पर्यटक बंगलें मूल- 15.90 पुनर्वि०- 6.68 9.22	9.22	5.35	3.87,
	विभागीय आंकड़ा	9.22	8.09	0.93
2-	निदेशन तथा प्रशासन (गैर) क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक कार्यालय- मूल- 19.23 पुनर्वि०- 7.82 11.41	11.41	1.96	9.45
	विभागीय आंकड़ा	11.41	11.40	0.01
3-	800-अन्य व्यय (यो०) मूल- 23.00 पुनर्वि०- 17.00 6.00	6.00	6.36	0.36
	विभागीय आंकड़ा	6.00	6.00	-
4-	पर्यटन स्थलों का विकास (यो०) मूल- 90.00 पुनर्वि०- 57.53 32.47	32.47	22.46	10.01
	विभागीय आंकड़ा	32.47	32.47	-
5-	पर्यटन आवास का निर्माण (यो०) मूल- 100.00 पुनर्वि०- 35.24	64.76	49.99	14.77
	विभागीय आंकड़ा	64.76	64.76	-
5-	जनजाति क्षेत्रीय उप योजना पर्यटन आवास का निर्माण मूल- 25.00 पुनर्वि०- 8.26 16.74	16.74	13.93	(-) 2.81
	विभागीय आंकड़ा	16.74	16.74	-

अनुसूची - अ

विनियोग लेखा - अनुदान संख्या - 32 पर्यटन 3452 - 5452 - पर्यटन (पृष्ट - 124)

क्रमांक	3452- पर्यटन (गैर)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
7-	बिहार राज्य पर्यटनविकास निगम को वे-साइड सुविधा हेतु अनुदान मूल- 22.00 पुनर्वि०- 15.00	7.00	6.82	0.18
	विभागीय आंकड़ा	7.00	6.82	0.18
8-	पर्यटन स्थलों का विकास मूल- 35.00 पुनर्वि०- 20.73	14.27	12.73	1.54
	14.27 विभागीय आंकड़ा	14.27	14.27	-
	अन्य व्यय वे साइड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निगम को अनुदान मूल- 50.00 पुनर्वि०- 40.93	9.07	9.00	0.07
	9.07 विभागीय आंकड़ा	9.07	9.07	-
9-	पर्यटन अव संरचना - पर्यटक केन्द्र गैर- मूल- 72.43 योजना 5.00	77.43	92.46	15.03
	77.43 विभागीय आंकड़ा	72.43	72.40	0.03
	गैर योजना - गैर योजना -	5.00	5.00	-

अनुसूची - बी

1991-92

3452- पर्यटन गैर योजना

कुल उपबंध 165-08

क्रमांक	उप शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1-	पर्यटक आवास मूल 15.23 पुनर्वि० 6.88	9.22	8.09	0.93
	9.22			
2-	निदेशन और प्रशासन निदेशालय मूल 20.57 पुनर्वि०	20.57	20.55	0.02
3-	क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक कार्यालय मूल 19.23 पुनर्वि० 7.82	11.41	11.40	0.01
	11.41			
4-	पर्यटन प्रशिक्षण मूल 2.21	2.21	2.21	-
5-	पर्यटक केन्द्र मूल 72.43	72.43	72.40	0.03
6-	पर्यटक परिवहन सेवा मूल 11.12 पुनर्वि० 1.07	10.05	10.05	-
	10.05			
7-	पर्यटन प्रचार मूल 14.49 पुनर्वि० 2.06	12.43	12.42	0.01
	12.43			
8-	आकाशी रज्जुमार्ग मूल 9.13 पुनर्वि० 9.13			
	कुल बजट उपबंध प्रत्यार्पित राशि	138.12	137.12 165.08 26.96 138.12	1.00

अनुसूची - सी

3452 - पर्यटन
5452 -पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

क्रमांक	शीर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय	बचत
1-	3452 - पर्यटन	190.00	80.00	80.00	110.00
2-	5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	170.00	70.00	70.00	100.00
3-	5452 - पर्यटन - जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना	120.00	50.00	47.88	72.12
		480.00	200.00	197.88	282.12
				प्रत्यर्पित	276.58
				अतिरिक्त बचत	5.54

26

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1992-1993 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.2.2	अनुदान संख्या - 32 - पर्यटन (सभी दत्तमत) 1992 - 93 3452-पर्यटन 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय कुल अनुदान 5,68,09,000 वास्तविक व्यय 2,58,60,773 अधिक व्यय + बचत 3,09,48,227 मूल 5,64,31,000 अनुपूरक 3,78,000 5,68,09,000 वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 2,79,24000 बचत 30,24,227	विभागीय आंकड़ा निम्न प्रकार है (लाख में) — कुल अनुदान (लाख में) / वास्तविक (लाख में) / व्यय बचत 3452-पर्यटन गैर योजना 140.31 / 129.27 / 11.04 3452-पर्यटन-अनुपूरक 3.78 / 3.78 / - 3452-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 424.00 / 155.80 / 268.20 मूल 424.00 पुनरीक्षित 156.00 — 568.09 / 288.05 / 279.24 उपर्युक्त विवरणी से विदित होगा की अनुपूरक अनुदान 3.78 लाख का पूर्ण व्यय किया गया है। जहां तक 309.48 लाख बचत राशि अनावश्यक सिद्ध हुई, इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वास्तविक बचत 279.48 लाख होता है, जिसमें 268.20 लाख की बचत योजना उद्व्यय का है योजना उद्व्यय 424.00 लाख से घटकर पुनरीक्षित उद्व्यय 156.00 लाख ही रहा गया था। इस प्रकार 268.00 लाख योजना उद्व्यय वित्तीय स्थिति को देखते हुए योजना विभाग द्वारा घटा दिया गया। बचत उपबंध - 424 लाख होने के बावजूद भी खर्च करने का सीमा पुनरीक्षित उद्व्यय योजना मद का 156.00 लाख ही निर्धारित था जिसमें 155.80 लाख व्यय किया गया। मात्र 0.20 लाख अर्थात् बीस हजार का बचत हुई। गैर योजना मद में 11.04 लाख विभाग के कुछ पदों के रिक्त रहने के कारण एवं मितव्ययीता के सिद्धान्त को अनुपालित किए जाने के फलस्वरूप स्थापना व्यय में बचत हुई बचत राशिया प्रत्यर्पण के बाद शून्य रही।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है।
2	2.4	नई सेवा / नई सेवा यंत्र पर व्यय उपबंध 191.00 व्यय (लाख रू.में) 26.00	इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि योजना उद्व्यय में कटौती के फलस्वरूप - 5452 पर पर पूंजीगत परिव्यय - पर्यटन अवसंरचना पर्यटन - आवास के निर्माण मद में प्रस्तावित उपबंध 190.50 लाख में 141.34 लाख बचत राशि प्रत्यर्पित करदी गयी एवं 4916 लाख का व्यय किया गया। इस प्रकार विभागीय आंकड़ा निम्न प्रकार है। पर्यटक आवास का निर्माण — कुल उपबंध (लाख में) / व्यय (लाख में) / बचत (लाख में) मूल - 190.50 पुनर्वि० - 141.34 — 49.16 / 49.16 / शून्य 49.16	विभाग को इस निदेश के साथ कि भविष्य मे बजट प्रक्रिया/ प्रावधानों को सुनिश्चित करें। इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
3	2.2.4	निधारित अनुदानों / विनियोगों में 1 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक कम व्यय हुआ। बचत - 309.00 लाख 54.40 प्रतिशत	इस संदर्भ में पारा - 1 एक (2.2.2) में स्थिति स्पष्ट करदी गयी है। बचत राशि मूल 309.00 लाख रुपये नहीं बल्कि 279.24 लाख है जिसमें योजना उद्व्यय में कटौती के फलस्वरूप पुनरीक्षित उद्व्यय 424 लाख स्थान पर 156.00 लाख ही रहा। शेष योजना उद्व्यय की बचत राशि 268.20 लाख प्रत्यार्पित कर दिया गया। पुनरीक्षित उद्व्यय 156.00 लाख में 155.80 लाख व्यय किया गया। मात्र 20 हजार का उपबंध शेष रहा, जिसे भी 268.00 + 0.20 कुल 268.20 लाख प्रत्यार्पित किया जा चुका है वास्तविक बचत - गैर - योजना मद में 11.04 लाख एवं योजना मद में 0.20 लाख कुल 11.24 ही बचत हुई हो जो 2% से कम ही है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में संबंधित कंडिका 2.2.4 एवं 2.5.3 को समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
4	2.5.3	बजट प्रावधान - वर्गीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं पूंजीगत - व्यय अनुदान संख्या - 32 - पर्यटन - 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत - व्यय 796 जनजातिय क्षेत्र - उप-योजना बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को सहायता अनुदान प्रावधान 10.00 व्यय लाख में 10.00 मेले उत्सव प्रावधान 2.00 व्यय लाख में 2.00 विज्ञापन विक्रय पूर्व कर प्रावधान 5.00 व्यय लाख में 5.00	उक्त बजट प्रावधान - 5452 - जनजातीय क्षेत्र उप - योजना के अन्तर्गत पूर्व से चला आ रहा है एवं तदनुसार बजट उपबंध जन-जाति क्षेत्र - बजट उपबंध जन जाति क्षेत्र उपयोजना के विभिन्न इकाइयों में किया जाता है सम्प्रति इस संदर्भ में बजट उपबंध जनजाति क्षेत्र उपयोजना के विभिन्न इकाईयों में किया जाता रहा है सम्प्रति इस संदर्भ में बजट उपबंध में संशोधन कर दिया गया है, जो अब पूंजीगत - परिव्यय के अन्तर्गत नहीं है। सुविधा के लिए 3452 - पर्यटन (गैर योजना) एवं 3452 - 5452 - पर्यटन - योजना का बजट उपबंध एवं व्यय विवरणी सूची "ए" एवं "बी" में संलग्न किया जा रहा है।	

अनुसूची - ए

3452 - पर्यटन 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय - योजना 1992-93

का बजट उपबंध व्यय, बचत प्रत्यार्पण विवरणी

क्रमांक	शीर्ष	बजट उपबंध	व्यय	बचत ;प्रत्यार्पितद्ध	
1-	3452 - पर्यटन - निदेशन और प्रशासन	4.00	4.00	-	
2-	पर्यटन परिवहन	10.00	-	10.00	पत्र संख्या 870 दि - 31-3-93
3-	पर्यटन स्थलों का विकास	50.00	14.14	35-86	पत्र संख्या 871 दि. - 31-3-93
4-	पर्यटन प्रचार	15.00	15.00	15.00	
5-	मेला त्योहार का अयोजन	8.00	8.00		
6-	पर्यटक केन्द्र	1.50	1.50		
7-	तीर्थ यात्री केन्द्रों का विकास	15.00	-	15.00	पत्र संख्या 872 दि. - 31-3-93
8-	पर्यटन प्रशिक्षण	2.00	2.00		
9-	5452 पर्यटन निजी संस्था को अनुदान -	12.00	12.00		
10-	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को अनुदान	10.00	10.00		
11-	पर्यटक आवास का निर्माण	190.50	49.16	141.34	पत्र संख्या 873 दि. - 31-3-93
12-	5452 जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना	106.00	40.00	66.00	पत्र संख्या 875 दि. - 31-3-93
	कुल योग	424.00	155.80	268.00	

अनुसूची - बी

3452 - पर्यटन गैर योजना 1992-93 का बजट उपबंध व्यय, बचत प्रत्यार्पण विवरणी

क्रमांक	शीर्ष	बजट उपबंध	व्यय	बचत (प्रत्यार्पित)	
1-	3452 - पर्यटन - पर्यटन आवास	2.39	2.39		
2-	निदेशन और प्रशासन	21.71	21.71		
3-	क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय	20-55	13-67	6.88	पत्र संख्या 875 दि.-31-3-93
4-	पर्यटक केन्द्र	75.80	75.80		
5-	पर्यटक परिवहन सेवा	4.52	4.52		
6-	पर्यटक सूचना और प्रचार	15.34	11.18	4.16	पत्र संख्या 876 दि.-31-3-93
	कुल	140.31	129.27	11.04	
	अनुपूरक	3.78	3.78		
	कुल	144.09	133.05	11.04	

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1993–1994 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1 2	2.2.4	अनुदानों में से व्यय प्रत्येक 2 करोड़ रूपये से अधिक और जल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक कम हो गया। क्रमांक 21 अनुदान विनियोग का विवरण 31 पर्यटन बचत की रकम (धन व्यवस्था) का प्रतिशत कोष्ट में) करोड़ में 5-39 (80-33 प्रतिशत) बचत का मुख्य कारण मुख्यत: योजनागत परिव्य कटौती के कारण 4-19 करोड़ रूपये)	इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 3452 - 5452 पर्यटन - गैर योजना एवं योजना उद्व्यय 1993-94 का बजट उपबंध एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार रही है : 3452-पर्यटन — कुल अनुदान — पुनरीक्षित अनुदान — वास्तविक व्यय — बचत (लाख में) गैर योजना — 185.43 — 185.43 — 143.42 — 42.01 3452-पर्यटन (योजना) — 156.00 — 6.00 — 4.73 — 151.27 5452-पर्यटन (योजना) — 200.00 — - — - — 200.00 अन्य क्षेत्रीय उपयोजना 5452-पर्यटन-जनजाति क्षेत्रीय उप योजना — 130.00 — 00.00 — 00.00 — 130.00 कुल योजना 486.00 **कुल योग — 671.43 — 191.43 — 147.65 — 523.28** उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट होगा कि कुल योजना उद्व्यय की अधिसीमा 486.00 लाख से घटाकर मात्र 6.00 लाख ही रह गया था। इस प्रकार कुल उद्व्यय गैर योजना 185.43 योजना 6.00 - 191.43 लाख की मुख्य रूप से वर्ष 1993-4 में रहा जिसमें बचत राशि 42.01 + 1.27 अर्थात 43.28 लाख बचत हुई जो कुछ पद रिक्त रहने के कारण स्थापना मद में बचत हुई जो कुल पुनरीक्षित उपबन्ध का लगभग 22 प्रतिशत है। जहां तक योजना उद्व्यय 486.00 लाख का प्रश्न है योजना उद्व्यय में कटौती के मारण 480.00 लाख पूर्ण रूपेण अव्यवहित रही जिसे प्रत्यर्पित कर दिया गया है।	विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/प्रावधानों को सुनिश्चित करें, समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			इस प्रकार 1993-94 में बचत राशि 5.39 लाख न होकर मात्र 43.28 लाख पुनरीक्षित उद्व्यय के अनुसार रहा है। 1. विनियोग लेखा के अनुसार कुल उद्व्यय / व्यय (लाख में) / बचत 3452-पर्यटन-पर्यटन केन्द्र 93.00 75.47 17.63 विभागीय आंकड़ा 93.00 93.00 बचत राशि 2. 3452 पर्यटन निदेशन और प्रशासन क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक का कार्यालय 9.87 5.66 4.21 विभागीय आंकड़ा 9.87 9.87 शुन्य 10. 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-जनजाति क्षेत्रीय उप योजना कुल उद्व्यय / व्यय (लाख में) / बचत 49.50 - 49.50 पर्यटक आवास का निर्माण कुल - 50.00 पुनर्नि॰- 0.50 विभागीय आंकड़ा- पर्यटक आवास का निर्माण मूल- 50.00 पुनर्नि॰- 50.00 बचत राशि पूर्णरूपेण प्रत्यार्पित कर दी गयी है।	

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1994-1995 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.2.3	अनुदान दो करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय हुआ।	के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 3452-5452 - पर्यटन से संबंधित अनुदान एवं व्यय का आंकड़ा वित्त विनियोग लेखे में निम्न प्रकार दर्शाया गया है - मुल 6,80,07,000 **अनुपूरक शून्य** — कुल अनुदान 68017000, वास्तविक व्यय 15740370, अधिक व्यय + बचत 52277630 **विभागीय आंकड़ा** — 68017000, 18205350, 49811650 **पर्यटन गैर योजना 19417000** — 19417000, 15259862, 4157138 **पर्यटन योजना 48600000** — 48600000, 2945488, 45654512 **कुल 68017000** — 68017000, 18205350, 49811650 उपलब्ध आंकड़ों से विदित होगा कि योजना का उद्व्यय 486.00 लाख के स्थान पर संशोधित उद्व्यय 30.00 लाख कर दिया गया था जिसके अन्तर्गत 29.45 लाख का व्यय किया गया। अर्थात् योजना उद्व्यय का 456.90 लाख रूपये योजना विभाग द्वारा काट लिया गया था। फलस्वरूप योजना उद्व्यय का 456.55 लाख प्रत्यार्पित कर दिया गया। यह राशि व्यय के लिये निर्धारित नहीं था। अतएव योजना उद्व्यय 486.00 लाख का पुनरीक्षित उद्व्यय 30.00 लाख ही वर्ष 1994-95 में रहा जिसमें 29.45 लाख व्यय हुआ। मात्र 45 हजार ही अपरिहार्य कारणों से बचत हुई जो कुल बचत का 1.35 प्रतिशत करीब होता है। जहां तक गैर योजना उद्व्यय 194.17 लाख का प्रश्न है कुल व्यय 152.60 लाख हुआ विभाग के अवैधानिक पुनर्गठन के फलस्वरूप कुछ कर्मचारी अनश्चित कालीन अवकाश पर चले गये फलस्वरूप पद रिक्त रहने के कारण 41.57 लाख राशि में बचत हुई है जो कुल उद्व्यय का करीब 8 प्रतिशत है। इस प्रकार 3452-5452 पर्यटन का बचतराशि 77 प्रतिशत न होकर मात्र योजना मद में 1.35 प्रतिशत एवं गैर योजना मद में 8 प्रतिशत ही है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
2	2.2.5	उक्त कंडिका में यह प्रश्न उठाया गया है कि अनुदानों में सतत् बचतें दर्शी गई है। प्राप्ति प्रतिवेदन 1994-95 के	लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95, के वर्षों में योजना उद्व्यय की अधिसीमा में सरकार द्वारा कटौती किये जाने के फलस्वरूप अधिक	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
		अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में क्रमशः 54 प्रतिशत, 80 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत अनुदान में प्रदर्शित किया गया है।	बची हैं वास्तविकता यह है कि किसी भी वर्ष औसतन निर्धारित उद्व्यय के अन्तर्गत 10 प्रतिशत के अन्तर्गत ही बचत हुई है जैसे वर्ष 1994-95 में योजना मद में 1.35 प्रतिशत एवं गैर योजना मद में करीब 8 प्रतिशत ही बचत हुई है। इस संदर्भ में विभाग की शिथिलता तो विचारणीय है ही महालेखाकार के कार्यालय से भी कुछ बिन्दुओं पर शिथिलता बरती जाती है कि वास्तविक व्यय सही व्यय शीर्ष के अन्तर्गत पोस्टिंग नहीं कर अन्यत्र व्यय शीर्ष में पोस्टिंग कर दिया जाता है। जिससे किसी मद में बजट से अधिक व्यय हो जाता है एवं किस मद में बजट से कम व्यय या शून्य व्यय प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में विभाग के कर्मचारी / पदाधिकारी समय पर महालेखाकार कार्यालय से सम्पर्क कर सुधार नहीं कर पाते हैं, इसके लिये विभागीय कर्मचारियों / पदाधिकारियों को सचेत किा गया है।	विभागीय स्पष्टीकरण को समिति गंभीरता से लेते हुए इस निदेश के साथ कि भविष्य में विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी समय पर महालेखाकार कार्यालय से सम्पर्क करें। इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
3	2.8	विभागीय आंकड़ों का समाधान नहीं किया गया।	वित्त विनियोग लेखे से संबंधित विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है : कुल अनुदान (लाख में) — वास्तविक व्यय (लाख में) — अधिक व्यय + बचत (लाख में) **1. 3452-पर्यटन पर्यटक केन्द्र** मूल - 122.14 पूनर्वि० - 22.85 — 99.29 — 80.47 — 18.82 विभागीय आंकड़ा — 99.29 — 99.29 — बचत शून्य बचत राशि शून्य है। जो राशि बची है वह 22.85 लाख प्रत्यार्पित कर दिया गया है। **2. निदेशन तथा प्रशासन** कुल अनुदान (लाख में) — वास्तविक व्यय (लाख में) — अधिक व्यय + बचत (लाख में) मूल - 32.25 पूनर्वि० - 7.99 — 24.26 — 24.65 — 0.39 विभागीय आंकड़ा — 24.26 — 24.26 — - बचत राशि शून्य है। **3. क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक कार्यालय-** कुल अनुदान (लाख में) — वास्तविक व्यय (लाख में) — अधिक व्यय + बचत (लाख में) मूल - 24.68 पूनर्वि० - 12.69 — 11.99 — 8.56 — 3.43 विभागीय आंकड़ा — 11.99 — 11.99 — - प्रत्यार्पण के बाद बचत राशि - शून्य है।	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा

4. पर्यटक सूचना और प्रचार

		कुल अनुदान (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)	अधिक व्यय + बचत (लाख में)
मूल -	18.08			
पूर्नवि० -	7.04	11.04	12.48	1.44
विभागीय आंकड़ा		11.04	11.04	-

प्रत्यार्पण के बाद बचत / अधिकाई व्यय - शून्य है।

5. 3452-पर्यटन पर्यटक आवास (गैर योजना)

		कुल अनुदान (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)	अधिक व्यय + बचत (लाख में)
मूल -	2.49			
पूर्नवि० -	0.99	1.50	1.50	-

बचत राशि प्रत्यार्पण के बाद बचत / अधिकाई व्यय - शून्य है।

6. 3452-पर्यटन पर्यटक परिवहन जल क्रीड़ा इकाई

		कुल अनुदान (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)	अधिक व्यय + बचत (लाख में)
मूल -	4.53	4.53	4.53	-

बचत / अधिकाई व्यय - शून्य है।

इस प्रकार 3452 : पर्यटन गैर योजनाबजट 194-17 लाख के बचत राशि 41.57 लाख के प्रत्यार्पण के बाद शेष राशि 152.60 लाख का पूर्ण उपयोग किया गया है। बचत या अधिकाई व्यय शुन्य है।

सुविधा के लिये गैर योजना एवं योजना उद्व्यय,व्यय एवंबचत राशि कॉ प्रत्यार्पण विवरणी अलग से संलग्न सूची ''अ'' एवं ''ब'' संलग्न है।

अनुसूची - अ

मुख्य शीर्ष - 3452 - पर्यटन वर्ष 1994 - 95 (गैर योजना)

क्रमांक	उप शीर्ष	बजट उपबंध	कुल व्यय	शेष प्रत्यार्पित राशि अभि०
1-	निदेशन और प्रशासन (निदेशालय)	32,25,000.00	24,25,957.00	7,99,04,043.00
2-	क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक कार्यालय	24,68,000.00	11,98,704.00	12,69,296.00
3-	पर्यटक आवास	2,49,000.00	1,49,626.00	99,374.00
4-	पर्यटक सूचना और प्रचार	18,08,000.00	11,03,595.00	7,04,405.00,
5-	पर्यटक केन्द्र	1,12,14,000.00	99,28,980.00	12,85,020.00
6-	जल क्रीड़ा इकाई	4,53,000.00	4,53,000.00	शून्य
	कुल	1,94,17,000.00	1,52,59,862.00	41,57,138.00

अनुसूची - ब

1994 - 95 की योजना

क्रमांक	उप शीर्ष	बजट	व्यय	प्रत्यार्पण	पत्रांक / दिनांक
	3452 पर्यटन				
1-	निदेशन और प्रशासन	6.00	4,4548	154,512	592/31-3-95
2-	पर्यटन केन्द्र	10.00	-	10.00	595/31-3-95
3-	अन्य व्यय अन्य क्षेत्रीय उप योजना	38.00	-	38.00	593/31-3-95
4-	अन्य व्यय अन्य क्षेत्रीय उप योजना	83.00	-	83.00	594/31-3-95
5-	तीर्थ यात्री केन्द्र का विकास	22.00	-	22.00	596/31-3-95
6-	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	205.00	25.00	180.00	597/31-3-95
7-	जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना	122.00	-	122.00	598/31-3-95
	कुल	4,86,00,000	29,45,488	4,56,54,512	

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

वर्ष 1995-1996 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.2.2	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सावित हुए - माँग संख्या - 31 - पर्यटन - अनुपूरक अनुदान - 6.14 लाख बचत - 55.02 लाख	इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि - वर्ष 1994-95 में पर्यटन विभाग के 28 पर्यटक सूचना केन्द्रों को तत्कालिक प्रभाव से तत्कालीन निदेशक द्वारा पर्यटन विभाग के पुर्नगठन की प्रक्रिया में बन्द कर दिया गया था। उन बन्द केन्द्रों के बकाया मकान भाड़ा, मजदूरी, दूरभाष, विद्युत, आदि के बकाये के भुगतान के लिए वर्ष 1995-96 में 5,13,500 रू० का अनुपूरक अनुदान सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी एवं गाड़ियों के संचालन के लिए जल क्रीड़ा-इकाई के अन्तर्गत 1,00,000 रू० का अनुपूरक अनुदान दिया गया था। उक्त कुल अनुदन 6.14 लाख रू० में 4. 56 लाख व्यय किया गया। शेष 1.58 लाख रूपये का व्यय बैंक से 31 मार्च, को कुल 11 देयक का एक बंच गुम हो जाने के कारण राशि की निकासी नहीं हो सकी और न तो उक्त राशि का प्रत्यर्पण ही हो सका। विभाग द्वारा अनुपूरक अनुदान की राशि 6.14 लाख में 5.56 लाख का ही सही उपयोग हो सका। जहाँ तक 554.02 लाख रूपये के बचत का प्रश्न दर्शाया गया है, विभागीय आकड़ों के अनुसार निम्न प्रकार है : कुल अनुदान / व्यय / बचत 1. 3452-पर्यटन-गैर योजना - 212.99 / 149.33 / 63.66 2. 3452-पर्यटन-अनुपूरक अनुदन - 6.14 / 4.56 / 1.58 3. 3452-पर्यटन योजना 4.86 / 30.96 / 455.04 **कुल 705.85 / 184.85 / 520.28** क्रमांक 1 में 63.66 लाख का बचत विभाग के कुछ पद रिक्त रहने के कारण बेतन-भते की राशि में बचत हुई है। व्यय में मितव्ययता 8% प्रतिमाह रहने कारण भी राशि में बचत हुई। उक्त बचत राशि पूर्ण रूप से अभ्यार्पित किया जा चुका क्रमांक - 2 जहाँ तक अनुपूरक अनुदान के मद में 1.58 लाख रूपये की बचत राशि है, बैंक से राशि के भुगतान नहीं होने के कारण हुई है। क्रमांक-3 जहाँ तक योजना मद में 486.00 लाख रूपये के मूल अनुदान की राशि थी, योजना विभाग द्वारा पर्यटन योजना की अधिसीमा घटा दी गयी थी। मात्र	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			31 लाख की अधिसीमा पर्यटन विभाग के लिए वर्ष 1995-96 में रखा गया और उसी अधिसीमा के अन्तर्गत 30.96 लाख रूपये का व्यय किया जा सका शेष 455.04 लाख रुपये को वित्त विभाग को अभ्यार्पित कर दिया गया। इस प्रकार पर्यटन विभाग में बचत की राशि 554.02 लाख रुपये नहीं था, बल्कि 520.28 लाख रुपये था, जिसमें 1.58 लाख को छोड़कर 518.70 लाख के बचत राशि को अभ्यार्पित किया जा चुका है। योजना मद 455.04 लाख रूपये का बचत राशि, योजना उद्व्यय में कटौती कते फलस्वरूप हुई है। पर्यटन योजना की अधिसीमा - योजना एवं विकास विभाग द्वारा 486.00 लाख के स्थान पर वर्ष 1995-96 में मात्र 31.00 लाख ही निर्धारित किया गया, जिसका पूर्ण उपयोग 30.96 लाख रुपये का किया गया है। अत: बचत राशि शून्य रहा। इस प्रकार गैर योजना मद में बेतन-भत्ते की बचत राशि 63.66 लाख एवं अनुपूरक अनुदान, बैंक से राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप 1.58 लाख कुल 65.24 लाख बचत हुई जिसमें 63.66 लाख प्रतयार्पित किया जा चुका है। बचत 4.59% प्रतिशत रहा है।	
2	2.2.3	कुल प्रावधान 2 करोड़ से अधिक का 10% प्रतिशत से अधिक से भी कम व्यय हुआ।	वर्ष 1995-96 में पर्यटन विभाग का योजना बजट 486.00 लाख था, लेकिन योजना बजट 486.00 लाख था, लेकिन योजना बजट में कटौती कर दी गयी और मात्र 31.00 लाख रूपये की अधिसीमा निर्धारित कर दी गयी। फलस्वरूप अधिसीमा के अनतर्गत 30.96 लाख व्यय किया गया तथा राशि 455.04 लाख रुपये को अभ्यार्पित कर दिया गया। अत: निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा योजना मद में 100% प्रतिशत - व्यय किया गया है। जहाँ तक गैर-योजना जट 212.99 लाख रुपये का है, उसे 63.66 लाख रुपये का बचत विभाग में पद रिक्तरहने के फलस्वरूप हुआ है जिसे अभ्यार्पित कर दिया गया है।	विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/प्रावधानों को अवश्य पालन करें, इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
3	2.2.4	कंडिका - 2.2.4 - अनुदान में सतत बचतें देखी गई : पर्यटन 554 लाख 79% प्रतिशत 1995-96 523 लाख 77% प्रतिशत 1994-95 539 लाख 80% प्रतिशत 1993-94	वर्ष 1995-96 में योजना के उद्व्यय में कटौती के फलस्वरूप 486.00 लाख में 455.00 लाख की अनुपयोगी राशि प्रत्यार्पित की गयी है। निर्धारित उद्व्यय 31 लाख रूपये का पूर्ण उपयोग किया गया है, जो 100% प्रतिशत है। गैर योजना बजट 212.99 लाख में 149.33 लाख का व्यय किया गया है। पद रिक्त रहने केकारण 63.66 लाख (28%) की राशि बचत होने के कारण प्रत्यार्पित की जा चुकी है। अनुपूरक अनुदन - 6.14 लाख में 4.56 लाख का व्यय किया गया है। 1.58	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			लाख बैंक एवं कोषागार की शिथलता के कारण बचत हुई है जो करीब 30% है। वर्ष 1994-95 एवं 1993-94 में भी योजना उद्व्यय में कटौती के कारण बचत राशि अधिक रही।	
4	2.4	नई सेवा-सेवा के नए साधनपर - व्यय	इस संदर्भ में पर्यटन विभाग का आँकड़ा शून्य है।	
5	2.7	विभागीय आँकड़ों का समाधान नहीं किया जाना	इस संदर्भ में विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सचेत किया जा चुका है कि हर तीन माह पर महालेखाकार के कार्यालय में जाकर विभागीय आँकड़ा का सत्यापन कर लिया जाय। संलग्न विवरणी एवं पूर्व अंकित तथ्यों से स्पष्ट होगा कि कुछ मदों में व्यगत राशि को भी शून्य दिखाया गया है जबकि विभाग का पूर्ण व्यय किया चुका है। इस प्रकार विभाग की बजट उपबंध, व्यय एवं बचत की सही स्थिति निम्न प्रकार है : 3452-पर्यटन 3452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय — कुल अनुदान / व्यय / बचत-प्रत्यार्पण गैर-योजना - 2,12,99,000 / 1,49,32,873 / 63,66,127 योजना 4,86,00,000 / 30,96,000 / 4,55,04,000 अनुपूरक अनुदान 0,06,13,500 / 4,56,000 / 1,57,000 705,12,500 / 184,84,873 / 52,027,127 (-)1,57,000 518,70,127 इस प्रकार कुल अनुदान 705.12 लाख व्यय 184.85 लाख प्रत्यार्पित राशि 518.70 लाख तथा बचत राशि 1.57 लाख (बैंक से राशि निकासी नहीं होने के कारण) पर्यटन विभाग में रहा है। 3452-5452-पर्यटन-विनियोग लेखा के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में कंडिका सं० 2.4 एवं 2.7 को आगे बढ़ाना नही चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			<u>विनियोग लेखा</u> 3452-पर्यटन 3452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय कुल अनुदान / वास्तविक व्यय / अधिक व्यय मूल-6,98,99,000 अनुपूरक 6,13,5000 / 7,05,12,500 / 1,51,10,644 / 5,54,01,85 7,05,12,500 वर्ष के दौरान अभ्यार्पित राशि (31 मार्च, 96) / - / - / 5,18,69,86 उत्तर-विभागीय आंकड़ा / 7,05,12,500 / 1,84,84,873 / 5,20,27,127 (बचत 1,57,0) 1. (3452-पर्यटन) पर्यटन केन्द्र मूल-133.37 / 98.65 / 97.08 / 1.57 अनुपूरक-5.13 पुर्नवि०-39.85 / उक्त बचत राशि से राशि निकासी नहीं होने के कारण हुई है। 2. (3452-पर्यटन) निदेशन और प्रशासन निदेशालय मूल-35.43 / 22.56 / 22.56 / - पुर्नवि०-12.87 3. क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशालय मूल-27.08 / 14.71 / 14.71 / - पुर्नवि०-12.37 4. पर्यटक सूचना और प्रचार मूल-19.45 / 14.20 / 14.20 / - पुर्नवि०-5.25	

अनुसूची - अ

मुख्य शीर्ष - 3452 - पर्यटन वर्ष 1995 - 96 (गैर योजना)

क्रमांक	उप शीर्ष	बजट उपबंध	कुल व्यय	शेष प्रत्यार्पित राशि	अभियुक्ति
1-	निदेशन और प्रशासन (निदेशालय)	3543000.00	2266050.00	1286949.00	583 पत्र सं० 31.3.96
2-	क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक कार्यालय	2708000.00	1470642.38	1237357.62	586 पत्र सं० दिं० 31.3.96
3-	पर्यटक आवास	272000.00	171771.75	100228.25	पत्र सं० 585 दिं० 31.3.96
4-	पर्यटक सूचना और प्रचार	1945000.00	1420459.17	524540.83	पत्र सं० 588 दिं० 31.3.96
5-	पर्यटक केन्द्र	12337000.00	9351756.35	2985243.65	पत्र सं० 584 दिं० 31.3.96
6-	जल क्रीड़ा इकाई	449000.00	262192.85	231807.15	पत्र सं० 587 दिं० 31.3.96
	कुल	21299000.00	14932872.74	6366127.24	
अनुपूरक अनुदान					
1.	पर्यटक केन्द्र	513500.00	356000.00	157000.00	
2.	जल क्रीड़ा इकाई	100000.00	100000.00	---------	
	कुल	613500.00	456000.00	157000.00	

40

अनुसूची - ब

1995 - 96 में 3452-5452-पर्यटन-योजना का उद्व्यय, वास्तविक व्यय एवं प्रत्यर्पण विवरणी

क्रमांक	उप शीर्ष	उद्व्यय	वास्तविक व्यय	बचत/प्रत्यार्पण
1-	3452 पर्यटन निदेशन और प्रशासन	6.00	4.96	1.04 पत्र सं० 592 दिनांक 31.3.95
2-	पर्यटन केन्द्र	10.00	--	10.00 पत्र सं० 591 दिनांक 31.3.95
3-	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्य व्यय	38.00	--	38.00 पत्र सं० 590 दिनांक 31.3.95
4-	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना पर्यटन स्थलों का विकास	83.00	--	83.00 पत्र सं० 589 दिनांक 31.3.95
5-	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना तीर्थ यात्री केन्द्रों का विकास	22.00	--	22.00 पत्र सं० 593 दिनांक 31.3.95
		159.00	4.96	154.00
6-	5452- पर्यटन			
	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को हिस्सा पूंजी में अंशदान	20.00	--	20.00
	पर्यटक आवास का निर्माण	185.00	25.00	160.00 पत्र सं० 594 दिनांक 31.3.95
	जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना	122.00	1.00	121.00 पत्र सं० 595 दिनांक 31.3.95
	कुल	327.00	30.96	301.00

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
वर्ष 1996-1997 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.2.2	वित्त विनियोग लेखा पृष्ठ 183 के अवलोकन से विदित होता है कि 3452 / 5452 पर्यटन का वर्ष 1997-98 के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाया गया है : मूल उद्व्यय 22781000 अनुपूरक 1814160 कुल अनुदान 2459510 वास्तविक व्यय 21615622 अधिक व्यय + बचत 2979538 24595160 वर्ष के दौरान अभ्यार्पित राशि 2240482	कुल अनुदान वास्तविक व्यय बचत प्रत्यार्पण विभागीय अभिलेखों के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है 24595160 17910218 6684742 कुल बचत राशि 6684742 रु० का विभाग द्वारा अभ्यार्पित किया जा चुका है। जहां तक अनुदान की राशि 18.14 लाख का प्रश्न है, उक्त राशि में 17-71 लाख का व्यय किया गया है एवं बचत राशि 0-43 लाख प्रत्यर्पण किया जा चुका है। इससे विदित होगा कि अनुपूरक राशि का करीब करीब पूर्णरूपेण उपयोग किया गया है। आंशिक राशि, अपरिहार्य कारणवश मात्र 0-43 बचत हुई है जिसे अभ्यार्पित किया जा चुका है। गैर योजना मद की बचत राशि 19-66 योजना मद की बचत राशि 46-82 66-48 कुल 66-48 लाख का प्रत्यर्पण वर्ष 1997-98 में किया जा चुका है। उक्त बचत राशि, मितव्ययीता नियम 96 प्रतिशत एवं मासिक व्यय 8 प्रतिशत के कारण रहा है एवं योजना मद की बचत राशि समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण भी हुआ है। लेखे में मद वार बचत एवं अधिकाई व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है : कुल अनुदान वास्तविक व्यय बचत प्रत्यार्पण 3452-पर्यटन पर्यटक केन्द्र (गैर योजना) मूल 56-87 35-07 55-07 - पुनर्वि0 1-80 55-07	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में निदेश के इस निदेश के साथ कि विभाग भविष्य में बजट प्रक्रिया/प्रावधानों को अवश्य सुनिश्चित करें, इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

22781000
1814160
24595160
- 21615622
29795538
बचत

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			कुल अनुदान वास्तविक व्यय बचत प्रत्यार्पण 1. पर्यटक केन्द्र योजना मुल 16-00 पुनर्वि0 14-75 1-25 1-25 - 1-25 2. 3452-पर्यटन निदेशन और प्रशासन क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशालय मुल 18-70 9-96 9-96 - पुनर्वि0 8-74 9-96 3. 3452-पर्यटन विज्ञापन बिक्री और प्रचार व्यय मुल 10-00 - - - पुनर्वि0 10-00 4. 5452-पर्यटन पर पूंजीगत-परिव्यय बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के हिस्सा पूंजी में अंशदान मुल 10-00 - - - पुनर्वि0 10-00 5. 3452-पर्यटन सामान्य पर्यटक सूचना और प्रसार मुल 21-76 21-66 21-66 - पुनर्वि0 -10 21-66	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			6. 3452-पर्यटन सामन्य निदेशन और प्रशासन - निदेशालय मुल 71-93 पुनर्वि0 8-04 63-89 63-89 +0-10 कर्मचारियों 63-89 वेतन भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि हुई है। ऊपर अंकित व्ययगत विवरणी से विदित होगा कि पर्यटन विभाग में वर्ष 96-97 के अन्तर्गत नहीं तो अधिक व्यय किया गया है और नहीं तो राशि की बचत की गयी है। व्ययगत राशि के बाद जो राशि बची है उसे सरकार को अभ्यवित कर दी गयी है एवं इसकी सूचना वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को भेजी जा चुकी है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभाग को दिये गये अनुदान, व्यय एवं अभ्यार्पित राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :	

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि
3452-पर्यटन			
गैर योजना	17181000	15221000	1966000
3452-5452 योजना	5,600000	9,17722	46,82,278
3452-5452 अनुपूरक	1814169	1771496	42664
	24595160	17910942	6684742

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

वर्ष 1997-1998 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.2.2	पर्यटन विभाग में 3452 - 5452 - पर्यटन के अन्तर्गत 1997-98 में अनुपूरक अनुदान 352.28 लिया गया एवं 37.22 लाख बचत किया गया। मुख्य शीर्ष - 3452 - पर्यटन 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय मूल - 2,15,17,000 उद्व्यय 5,67,44,590 व्यय 5,30,22,961 बचत 37,21,629 अनुपूरक - 3,52,27,590 5,67,44,590	वर्ष 1997 - 98 में गैर योजना का मूल उद्व्यय - 2,05,17,000 वर्ष 1997 - 98 में 3452 - पर्यटन - योजना कामूल उद्व्यय - 10,00,000 2,15,17,000 अनुपूरक - अनुदान - 3,52,27,590 कुल अनुदान - 5,67,44,590	
2	2.5.5	मुख्य शीर्ष "3452 - पर्यटन " के अन्तर्गत उप-शीर्षों पर मूल अनुदान में से 16.00 लाख रूपये अधिक वितरित किए गए।	2.5.5 के संबंध में उल्लेखनीय है कि योजना - बजट में "3452 - पर्यटन - 01 - पर्यटक केन्द्र - अन्य क्षेत्रीय - उप-योजना - पर्यटक सूचना केन्द्रों का जीर्णोद्वार एवं कम्प्यूटराईजेशन" के अन्तर्गत 16,00,000 रू० का - बजट प्रावधान - मिस - प्रिन्ट के कारण हो गया है। पर्यटन योजना का मूल उद्व्यय 5,55,000 एवं 4,45,000 कुल 10,00,000 रूपये ही। भूल से बजट प्रावधान में 16,00,000 का प्रिंट हो गया है, जो पर्यटन के मूल योजना से अधिक प्रदर्शित किया गया। अत: इस कंडिका को आगे नहीं बढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता है।	समिति के इस निदेश के साथ कि विभाग भविष्य में सचेत रहे तथा बजट प्रावधान का सही आकलन प्रस्तुत करे, इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।
2	2.5.5	परिशिष्ट-X-के क्रमांक 8 में पर्यटन विभाग का अनुपूरक - 352.28 तथा बचत 37.22 दर्शाया गया है।	पर्यटन विभाग का योजना का मूल उद्व्यय 10.00 लाख मात्र था। पर्यटन के विकास, प्रचार-प्रसार, लम्बित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मेला - त्योहार के अयोजन के निमित्त 338.14 लाख रूपये तथा गैर-योजना मद में 14.14 लाख रूपये सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी। जिन योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो सकी, या सम्पूर्ण राशि के व्यय नहीं हो सका, उन राशियों को विभाग द्वारा अभ्यर्पित कर	

44

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			दिया गया है। मात्र क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय के मद में 9.73 लाख की बचत हुई है, जो समय पर सूचना अप्राप्त होने के कारण प्रतयार्पित नहीं किए जा सके। जहाँ तक गैर – योजना बजट का प्रश्न है, वह स्थापना व्यय से संबंधित हैं स्थापना व्यय में कर्मचारियों के बकाये - वेतन भत्ते वर्तमान अनुदान से भुगतान पर रोक होने के कारण, अनुपूरक अनुदान लिया गया है और उनका उपयोग किया गया है, जो बचत राशि अभ्यार्पित की गयी है, वे मुख्यतः मितव्ययीता के सिद्धांत पर कन्टीजेन्सी एवं यात्रा व्यय से संबंधित है अथवा कुद मदों में वेतन-भत्तो के मूल अनुदान के हैं, जो पद रिक्त रहने के कारण बचत हुए है। इस प्रकार कुल उद्व्यय में 37.22 लाख की बचत हुई है जिसमें योजना मद की राशि मुख्य रूप से सम्मिलित जो योजनाओं के अकार्यान्वयन एवं स्वीकृति के अभाव में राशि अभ्यार्पित की गयी है। गैर-योजना मद में कुछ मदों में कर्मचारियों के बेतन-भत्ते में बृद्धि के फलस्वरूप उद्व्यय से अधिक व्यय हुए है जिसकी सूचना लोक लेखा समिति, महालेखाकार एवं वित्त विभाग को दी जा रही है। विनियोग लेखा के कुछ मदों में अधिक बचत दर्शाया गया है, उसका विवरण निम्नप्रकार है : (विनियोग लेखा) [कुल अनुदान / वास्तविक व्यय / अधिक व्यय / अभियुक्ति] 3452 - पर्यटन (73.49) पर्यटक केन्द्र (प्लान-16.00) — 89.49 / 56.76 / 32.73 विभागीय आँकड़ा मूल- 67.98 अनु0 - 6.89 (-) 1.38 — 73.19 / 78.76 / 5.27 / कर्म०/पदा०के वेतन भत्तो में बृद्धि के फलस्वरूप राशि में बृद्धि हुई है। विभागीय विवरण के अवलोकन से विदित होगा कि पर्यटक सूचना केन्द्रों के जीर्णोद्वार के लिए योजना मद में भूल से बजट उपबंध में 16.00 लाख बजट उपबंध मिसप्रिंट हो गया था, जो विभाग के मूल योजना उद्व्यय 10.00 लाख के अतिरिक्त था, जिसका मूल योजना उद्व्यय 10.00 लाख के अतिरिक्त था, जिसका लेखा-योजना बजट में वित्त विभाग द्वारा नहीं रखा गया है।	विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			विनियोग लेखा में भी भूल से 67.98 + 16.00 लाख कुल 83.49 लाख दर्शाया गया है। मूल अनुदान - पर्यटक केन्द्र का वास्तविक 67.98 ही है एवं अनुपूरक 6.89 कुल 74.87 लाख में - 1.38 लाख अभ्यार्पित किया गया। शेष उद्व्यय 73.49 ही रह जाता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप 5.87 लाख अधिक रह जाता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप 5.87 लाख अधिक व्यय हुआ है, जिसे विनयमन किया जाता है। (विनियोग लेखा) 3452-पर्यटन मेला-त्योहार एवं प्रदर्शनी — उद्व्यय लाख में / व्यय लाख में / बचत/अधिक व्यय-अभ्युक्ति लाख में (क) मूल- 4.45 अनुपुरक- 13.55 = 18.00 अभ्यार्पित- 0.43 = 17.57 — 17.57 / 11.70 / 5.87 (ख) विभागीय आंकड़ा — 17.57 / 17.57 3452-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना पर्यटन-प्रचार-प्रसार (क) अनुपूरक- 13.00 अभ्यार्पित- 2.95 = 10.05 — 10.05 / - / 10.05 (ख) विभागीय आंकड़ा- — 10.05 / 10.05 / बचत राशि शुन्य है। (क) (विनियोग लेखा) 3452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय बोधगया टुरिस्ट सेन्टर की चहारदीवारी और टुरिस्ट कम्पलेक्स का सुसज्जिकरण अनुपूरक- 12.00 अभ्यार्पित- 0.48 = 11.52 — 11.52 / - / 11.52	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			(ख) विभागीय आंकड़ा- (विनियोग लेखा) 11.52 11.52 बचत राशि है। 3452-पर्यटन निदेशन और प्रशासन क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक कार्यालय — कुल अनुदान (लाख में) / वास्तविक व्यय / अधिक व्यय बचत (क) मूल- 23.69, अनुपुरक- 2.21, पुन वि० 0.36 — 25.54 / 33.81 / 8.27 (ख) विभागीय आंकड़ा- 25.54 / 15.81 / (-) पद रिक्त रहने के कारण राशि की बचत हुई है। (विनियोग लेखा) 3452-पर्यटन संबर्द्धन तथा प्रचार पर्यटक सूचना और प्रचार (क) मूल- 26.71, अनुपूरक- 1.94, पुन वि० 0.37 — 28.28 / 51.79 / 23.51 (ख) विभागीय आंकड़ा- 28.28 / 29.23 / 0.95 कर्म/पदा० के वेतन भत्ते में के फलस्वरूप राशि में वृद्धि हुई है।	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			उपर्युक्त विवरण से विदित होगा कि वर्ष 1997-98 में 3452 - पर्यटन गैर योजना मद के शीर्षों में अधिकाई व्यय को विनियमित किया जा सकता है : 1. पर्यटक केन्द्र - 5.27 लाख 2. पर्यटक सूचना और प्रचार- 0.95 लाख 6.22 लाख कुल 6.22 लाख रूपये मात्र। उपर्युक्त सूचना प्राप्त विभागीय अभिलेखों के आधार पर दी गयी है। यदि समिति विभागीय स्पष्टीकरण से संतुष्ट होती है तो संबंधित कंडिकाओं को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमत हो सकती है एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते में अधिकाई व्यय 6.22 को विनयमितिकरण किया जा सकता है।	

अनुसूची - अ

3452 पर्यटन - गैर योजना उद्व्यय एवं व्यय वर्ष 1997 - 98

क्रमांक	3452- पर्यटन (गैर)		उद्व्यय	व्यय	बचत
1-	पर्यटक केन्द्र		73.49	78.76	5.27
	मूल -	67,98,000			
	अनु० -	689,000			
		74,87,000			
	प्रत्यर्पण -	1,38,000			
		73,49,000			
2-	निदेशन और प्रशासन निदेशालय		95.58	88.27	(-) 7.31
	मूल -	86,79,000			
	अनु० -	9,04750			
		95,83,750			
	प्रत्यर्पण -	(-) 26,000			
		9557,750			
3-	क्षेत्रीय सहायक पर्यटक निदेशक का कार्यालय		25.54	15.81	9.73
	मूल -	23.69			
	अनु० -	2.21			
		25.90			
	प्रत्यर्पण -	(-) 0.36			
		25.54			
4-	पर्यटक सूचना और प्रचार		28.28	29.23	0.95
	मूल -	26.71			
	अनु० -	1.94			
	योग -	28.65			
	प्रत्यर्पण -	(-) 0.37			
		28.28			

59

अनुसूची - अ

3452 पर्यटन - गैर योजना उद्व्यय एवं व्यय वर्ष 1997 - 98

क्रमांक	3452- पर्यटन (गैर)	उद्व्यय	व्यय	बचत
5-	3452-पर्यटन-योजना 01-पर्यटक अवसंरचना 011- निदेशन और प्रशासन क्षेत्रीय सहायक निदेशक कार्यालय	5,55,000	3,95,959.41	1,59,040.59
	मूल - 5,55,000 (4,12,725.06) 142374.94			
	5,55,100.00			
6-	01-पर्यटक केन्द्र अन्य व्यय - अन्य क्षेत्रीय उप-योजना पर्यटक सूचना केन्द्रों का जीर्णोद्धार एवं कम्प्यूटराइजेशन	16,00,000.00	-	मिस प्रिंट अनुपयोगी
7-	80 सामान्य अन्य व्यय - अन्य क्षेत्रीय उपयोजना पर्यटन स्थलों का विकास मेला-त्योहार एवं प्रदर्शनी	4,45,000.00	4,27,095.90	17,904.10
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	शून्य	शून्य	शून्य

50

अनुसूची

अनुपूरक - योजना

क्रमांक	(क) 3452- पर्यटन	उद्व्यय	व्यय	बचत प्रत्यापण
1-	मेला का आयोजन एवं पर्यटन प्रचार-प्रसार -	13,55,000.00	13,29,543.67	25,456.33
2-	बेथगवा टूरिस्ट सेन्टर की चाहरदीवारी एवं टूरिस्ट कम्पलेक्स का सुसज्जिकरण -	12,00,000	12,52,310.27	49,689.73
3-	मास्टर प्लान -	12,00,000	12,00,000.00	-
4-	प्रचार संबंधी कार्य -	9,45,000	9,06,200.00	38,799.50
5-	प०सू० केन्द्र कलकत्ता के भवन के क्रय हेतु -	15,00,000	-	15,00,000
	कुल	62,00,000	45,88,053.93	

क्रमांक	(ख) 3452- पर्यटन - जनजाति क्षेत्रीय - उपयोजना	उद्व्यय	व्यय	बचत प्रत्यापण
1-	पर्यटन प्रचार एवं वृहत प्रचार -	13,00,000.00	10,05,168.50	2,94,831.50
2-	विभागीय परिसम्पतियों का जीर्णोद्धार -	3,00,000.00	3,00,000.00	-
3-	आवासीय भवन का सुसज्जीकरण -	33,00,000.00	33,00,000.00	-
	योग -	49,00,000	46,05,168.00	

क्रमांक	(ग) 3452- पर्यटन (गैर - योजना)	उद्व्यय	व्यय	बचत प्रत्यापण
	राज्य मंत्री पर्यटन के लिए गाड़ी क्रय हेतु -	3.10	3.10	-

क्रमांक	(घ) 5452-पर्यटन अतिरिक्त अनुदान-जन-जाति-क्षेत्रीय-उप-योजना	उद्व्यय (लाख में)	व्यय (लाख में)	बचत (लाख में)
	होटल अशोक रांची के लिए -	205.00	205.00	-

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

वर्ष 1998-1999 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
1	2.3.3	वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक साबित हुए : अनुपूरक अनुदान - 214.02 लाख बचत - 185.76 लाख विवरण अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन 3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएँ 3452 - पर्यटन 3452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय राजस्व मूल- उद्व्यय 4,91,80,000 व्यय बचत अनुपूरक - उद्व्यय 2,14,02,000 व्यय 5,20,05,597 बचत 1,85,76,000 मूल- उद्व्यय शून्य व्यय बचत अनुपूरक - उद्व्यय 6,70,00,000 व्यय 6,64,56,800 बचत 5,43,000	उद्व्यय व्यय बचत प्रत्यर्पण 3451-सचिवालय, आर्थिक सेवाएँ 9,06,000 पर्यटन गैर योजना 46,528 अनुपूरक 9,52,528 6,90,366 2,62,162 उद्व्यय व्यय बचत प्रत्यर्पण 3452-पर्यटन 1-01-पर्यटक अवसंरचना 1(2)101-पर्यटक केन्द्र 1(2) (1)-पर्यटक केन्द्र मूल- 10673000 84,62,000 77.71 6.91 अनुपूरक- 546000 कुल- 11219000 प्रत्यर्पण(-) 2757000 84,62,000 इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 99 को कोषागार से समय पर देयक पारित नहीं होने से राशि की निकासी नहीं हो सकी। इसके पूर्व कोषागार में हड़ताल रहने के कारण भी पूर्व में राशि की निकासी नहीं हो सकी। अनुपूरक अनुदान 5.46 लाख रूपये कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन की बकाये के भुगतान की लिये मांग की गयी थी, जो वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के बकाया भुगतान करना था, जो वर्तमान बजट से भुगतान करने पर रोक था।	... विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			3452- पर्यटन 2.80-सामान्य-निदेशन तथा प्रशासन क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक का कार्यालय — उद्व्यय लाख में / व्यय लाख में / बचत+अधिक व्यय(लाख में) / अभ्युक्ति मूल उद्व्यय- 32.75 लाख अनुपूरक - 2.53 लाख 35.28 पर्त्यापण- 15.30 19.99 उद्व्यय 19.98, व्यय 21.65, 2.27 — क्षेत्रीय कार्यालय से समय पर व्यय विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण 13.63 के स्थान पर 15.30 लाख रू. प्रत्यर्पित हो जाने के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि प्रतीत होता है। यद्यपि व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत किया गया है। 3452-पर्यटन योजना महोत्सव का आयोजन — उद्व्यय / व्यय / बचत अनुपूरक- 75.00 पत्यर्पण- 18.79 56.21 उद्व्यय 56.21, व्यय 56.21, बचत - विभागीय स्पष्टीकरण : महोत्सव का अयोजन मद में 5452-पर्यटन योजना-शीर्ष के अन्तर्गत 75.00 लाख रूपये का अनपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था जिसमें 56.21 लाख का वास्तविक व्यय हुआ है एवं 18.79 लाख रूपये की राशि कोषागार से पारित नहीं होने के कारण बचत हो गयी जिसे प्रत्यर्पित कर दिया गया है। व्ययगत राशि 38.25 के स्थान पर 56.21 मान्य है। लेखा के संधारण में कहीं भूल-चूक हुई है। 3452-पर्यटन-पर्यटन अवसंरचना-योजना — उद्व्यय / व्यय / बचत राजगीर कुण्ड क्षेत्र का विकास — 10.00 / 10.00 / -	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			उपयुक्त राशि जिलाधिकारी नालंदा द्वारा निकासी की गयी है एवं आवंटन का पूर्ण व्यय हो चुका है। इस मद में राशि की बचत नहीं हुई है। **3452-पर्यटन-योजना** उद्व्यय व्यय बचत प्रत्यर्पण मेला तथा त्योहार का आयोजन मूल उद्व्यय- 25.00 25.00 24.67 0.33 19.12 विभागीय स्पष्टीकरण : उक्त मद में व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत 24.67 लाख किया गया है एवं कोषागार से समय पर देयक पारित नहीं होने केकारण 0.33 लाख बचत हुई है। भूल का कारण - मेला-त्योहार के अयोजन मूल-उद्व्यय 25 लाख तथा अनुपूरक अनुदान - 7500 लाख सम्मिलित बजट कुल 100.00 में से 19.12 लाख (पत्र संख 879 दिनांक 31.2.99 के द्वारा भूल से प्रत्यर्पण हो गया एवं पुनः 75.00 लाख में से पुनः 18.79 लाख प्रत्यर्पण (पत्र संख्या - 882 दिनांक 31.3.99) प्रदर्शित हो गया। अतः 18.79 रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। 3452-पर्यटन-निदेशक और प्रशासन (गैर योजना) उद्व्यय लाख में / व्यय लाख में / बचत (लाख में) / अभ्युक्ति मूल- 115.70 अनुपूरक 5.85 95.09 93.53 1.56 बचत राशि 1.56 लाख का कोषागार से समय पर देयक पारित नहीं होने के कारण राशि में बचत हो गयी और प्रत्यर्पित नहीं की जा सकी। 121.58 प्रत्यर्पण (-) 26.49 95.09 विभागीय स्पष्टीकरण : व्ययत राशि 110.20 लाख के स्थान पर 93.53 समझा जाय। लेखा-संधारण में भूल के कारण 93.53 के स्थान पर 110.30 लाख प्रदर्शित हो गया है। विभागीय स्पष्टीकरण से प्रतीत होगा कि पर्यटन विभाग में व्यय कुल उद्व्यय के अन्तर्गत है, जो राशि बचत हुई है, वह कर्मचारियों के हड़ताल एवं कोषागार से राशि समय पर पारित नहीं होने के कारण हुई है।	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			जहाँ तक अनुपूरक अनुदान का प्रश्न है वर्ष 1998-99 में गैर-योजना मद में पुनरीक्षित वेतन के बकाया भुगतान के लिये अनुमानित राशि सरकार के निदेशानुसार अलग से मांग की गयी थी, चूंकि वार्षिक उद्व्यय से बकाया के भुगतान पर मनाही थी। जहां तक योजना बजट में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने का प्रश्न है राजकीय हित में राशि की मांग की गयी थी, लेकिन समय पर योजना की स्वीकृति नहीं होने से, तथा कर्मचारियों के हड़ताल और कोषागार से देयक समय पर पारित नहीं होने के कारण योजना उद्व्यय की राशि 93.39 लाख का प्रत्यार्पण विभाग को करना पड़ा है। सुविधा के लिये विभागीय योजना एवं गैर-योजना उद्व्यय व्यय एवं बचत तथा प्रत्यार्पण से संबंधित सूचना एक सूची में संलग्न की जा रही है। **3452-पर्यटन-पर्यटक सूचना और प्रचार-गैर योजना** उद्व्यय लाख में / व्यय लाख में / बचत (लाख में) / प्रत्यर्पण / अभ्युक्ति मूल- 27.56 अनुपूरक- 7.67 योग- 35.23 प्रत्यर्पण- 4.83 — 30.40 — 30.14 — 0.26 — व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत है। कोषागार से समय पर देयक पारित नहीं होने के कारण एवं कर्मचारियों के हड़ताल के कारण राशि में बचत हुई है। 30.40 विभागीय स्पष्टीकरण : पर्यटक सूचना और प्रचार मद के अन्तर्गत 15.98 लाख की अधिकाई व्यय नहीं हुआ है, बल्कि उद्व्यय राशि में से 0.26 लाख की बचत हुई है। बजट उपबंध 30.40 लाख के स्थान पर 30.14 लाख का व्यय किया गया है। लेखा संधारण में भूल के कारण 30.14 लाख के स्थान पर व्यय राशि 46.38 लाख व्यय प्रदर्शित किया गया है।	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			गैर योजना मद 3452- मूल उद्व्यय- 28274000 अनुपूरक अनुदान- 1417000 29691000 व्यय- 22292000 07399000 प्रत्यार्पण- 7419000 कुल उद्व्यय से 0.20 लाख अधिक प्रत्यर्पित होता है जो समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण संभव है। योजना 3452-5452-पर्यटन-योजना कुल उद्व्यय- 20000000 अनुपूरक- 84000000 104000000 व्यय- 94641000 प्रर्त्यपण 09359000 मुख्य शीर्ष-3452 09-सचिवालय पर्यटन विभाग | सचिवालय उद्व्यय (लाख में) | आर्थिक सेवाएं व्यय (लाख में) | बचत+अधिक व्यय (लाख में) | अभ्युक्ति मूल-906000 | 6-90 | 6-90 | शून्य अनुपूरक- 46528 योग- 952528.00 प्रत्यार्पण- 262162 690366 3452-पर्यटन पर्यटक अवसंरचना पर्यटक केन्द्र | कर्मचारियों के हड़ताल एवं कोषागार द्वारा देयक पारित नहीं किये जानें के फलस्वरूप राशि में बचत मूल- 10673000 अनुपूरक- 546250 योग- 11219250 | 84-62 | 77-60 | 7-02 प्रत्यार्पण(-) 2757000 शेष 84622250	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			3452- पर्यटन 80 पर्यटक अवसंरचना 80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन निदेशालय मूल- 11570000 अनुपूरक- 587744 95.09 93.53 1.56 योग- 12157744 प्रत्यार्पण- 2649000 शेष- 9508744 कर्मचारियों के हड़ताल एवं कोषागार द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि में बचत हुई है।	
			011 निदेशन और प्रशासन क्षेत्रीय सहायक पर्यटन निदेशक का कार्यालय मूल - 3275000 अनुपूरक- 253000 योग- 3528000 19.98 21.05 +1.67 प्रत्यर्पण- 1530000 योगशेष- 1998000 क्षेत्रीय कार्यालयों से समय पर व्यय विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण राशि अधिक प्रत्यर्पण होने के कारण राशि में वृद्धि हुई।	
			3452-पर्यटन 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार पर्यटक सूचना और प्रचार मूल - 2756000 कर्मचारियों के हड़ताल तथा कोषागार से समय पर कोषागार से देयक पारित नहीं होने के कारण राशि में बचत हुई है।	

क्रमांक	कंडिका	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति की अनुशंसा
			अनुपूरक- 767110 योग- 3523110 प्रत्यर्पण- 483000 30-40 30-14 0.26 योगशेष- 3040110 कुल उपबन्ध -28274000 अनुपूरक- 1417000 29691000 प्रत्यर्पण-7419000 योगशेष-22272000 व्यय- 22292000	

अनुसूची - अ

3452 पर्यटन योजना

क्रमांक	3452- पर्यटन योजना	उद्व्यय (लाख में)	व्यय (लाख में)	प्रत्यर्पण (लाख में)	बचत+अधिकव्यय
1-	मेला - त्योहार का आयोजन, मूल- 25.00	25.00	24.67	0.33	कोषागार से देयक पारित नहीं होने के कारण राशि में बचत हुई। मूल से 19.12 लाख रु. प्रत्यर्पण अधिक हो गया है।
	अनुपूरक- 75.00	75.00	56.21	18.79	
2-	पर्यटन साहित्य का मुद्रण 10.00	10.00	10.00	-	
3-	प्रचार कार्य-प्रदर्शनी होडिंग का निर्माण आदि	18.00	14.97	3.3	
4-	टुरिस्ट कम्पलेक्स के चाहरदीवारी का निर्माण-लैंड स्कोपिंग एवंसुसज्जीकरण	27.00	27.00	-	
5-	मार्गीय सुविधा का निर्माण	12.00	10.00	2.00	
6-	राजगीर कुण्ड क्षेत्र का विकास	10.00	10.00	-	
7-	होटल मैनेजमेन्ट का अनुदान मूल- 10.00 अनुपूरक- 50.00 60.00	60.00	60.00	-	
8-	पर्यटन फिल्म का निर्माण	6.00	4.25	1.75	

अनुसूची - ब

3452 पर्यटन योजना

क्रमांक	अनुपूरक अनुदान	उद्व्यय (लाख में)	व्यय (लाख में)	प्रत्यार्पण (लाख में)	बचत+अधिकव्यय
1-	पर्यटन भवन फेज - II निर्माण मूल- 00 अनुपूरक 30.00	30.00	-	30.00	
2-	लोकनायक भवन, डाक बंगला चौराहा, पटना में पर्यटक केन्द्र के लिए स्थान अधिग्रहण एवं सुसज्जीकरण- अनुपूरक- 10.00	10.00	10.00	-	
3-	5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय योजना पर्यटन स्थल पर अवस्थित सड़क का निर्माण	451.44	446.00	35.43	
	अनुपूरक 451.44 अनुपूरक 491.44 125.00 616.44	491.44	456.08	35.43	

60

अनुसूची - स

मुख्य शीर्ष - 3452 पर्यटन, पर्यटक अवसंरचना

796 जन - जातीय क्षेत्रीय उप योजना-जन जाति उपयोजना

क्रमांक	3452- पर्यटन योजना	उद्व्यय	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण
1-	टूरिस्ट कम्पलेक्स, बेतला/ नेतरहाट में सेट लाइट की व्यवस्था	5.00	5.00	-	
2-	टूरिस्ट कम्पलेक्स का सुसज्जीकरण एवं लैंड स्कैपिंग	29.00	24.00	5.00	5.00
3-	टूरिस्ट कम्पलेक्स का जीर्णोद्धार	22.00	5.00	17.00	17.00
4-	टूरिस्ट कम्पलेक्स, नेतरहाट में जलापूर्ति	13.00	13.00	-	-
5-	जलसंसाधन विभाग, जमशेदपुर में निरीक्षण बंगला का सुसज्जीकरण	8.00	-	8.00	8.00 तत्काल योजना स्थगित हो जाने के कारण राशि प्रत्यार्पण हुई
6-	मेला त्योहारका आयोजन	5.00	2.75	2.25	2.25
		82.00	49.75	32.25	32.25
	अनुपूरक अनुदान				
1-	प्रचार फिल्म- पत्रिकाओं में विज्ञापन	5.00	5.00	-	-
2-	पर्यटक स्थलों पर सड़क निर्माण	218.56	218.56	-	-
		223.56	223.56	-	-
3-	योजना मूल उद्व्यय	200.00	160.64	39.36	
	अनुपूरक	840.00	785.77	54.23	
		1040.00	946.41	93.59	

पटना
दिनांक 15-9-03

(हस्ताक्षर) 15-9-03
सभापति
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना।

बि० स० मु० (एल०ए०) 153—डी०टी०पी०—500

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2004